मार्च 2015
मध्यप्रदेश
पंचायिका
पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
अनिल माथुर

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मध्यप्रदेश में आजीविका और परिसंपत्तियों का निर्माण

देश में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन

इस अंक में

सम्मान : मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार	3
साक्षात्कार : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से बातचीत	6
सम्मान : कृषि कर्मण पुरस्कार	9
विशेष लेख : मध्यप्रदेश में मनरेगा ने हर कमजोर को सशक्त बनाया	11
सफल गाथा : मनरेगा से रोजगार	13
विशेष लेख : मध्यप्रदेश में मनरेगा आजीविका से सम्मान तक	16
खास खबरें : प्रदेश को वाटरशेड प्रबंधन और भूमि विकास का राष्ट्रीय सम्मान	18
पंचायत निर्वाचन : पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की मतदान प्रक्रिया पूर्ण	23
साक्षात्कार : अपने गाँव को आदर्श ग्राम बनाना है	26
पंचायत निर्वाचन : मेरे गाँव में पंचायत चुनाव की कहानी	27
योजना : पंच परमेश्वर योजना आधारभूत विकास पर अमल	32
योजना : तारासेवनिया बनेगा सर्वोत्तम आदर्श गांव	44
पंचायत : पंचायती राज वैदिक और वनवासी समानताएं	45
पंचायत गजट : ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजनांतर्गत संचालित बैंक खाते...	47

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि यह अंक पुरस्कारों से भरा है। मध्यप्रदेश को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों ने कार्य के परिणामों की पुष्टि कर दी है। मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार इस खबर को हमने 'सम्मान' स्तम्भ में शामिल किया है। मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत 74 प्रतिशत स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ जो देश में सर्वाधिक है। मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से आजीविका के अवसर उपलब्ध हुए हैं। मनरेगा के कार्यों में उत्कृष्टता से मिले सम्मान तथा कार्य आयोजना को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव से साक्षात्कार के अंश प्रकाशित कर रहे हैं 'साक्षात्कार' स्तम्भ में।

गेहूं उत्पादन में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश को लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इस खबर को भी हमने 'सम्मान' स्तम्भ में शामिल किया है। मनरेगा के तहत हर कमजोर को सशक्त बनाया इस आलेख को हम 'विशेष लेख' में शामिल कर रहे हैं। 'सफल गाथा' में कटनी तथा देवास जिले के कार्य। 'खास खबरें' स्तम्भ में प्रदेश को वाटरशेड प्रबंधन और भूमि विकास का राष्ट्रीय सम्मान, नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए पुरस्कार, मध्यप्रदेश को मिला राष्ट्रीय ग्रीन टेक सी.एस.आर. गोल्ड अवार्ड, मध्यप्रदेश की पहली स्मार्ट वाय-फाय सिटी गढ़ाकोटा आदि समाचार शामिल हैं।

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। इस खबर को 'पंचायत निर्वाचन' में प्रकाशित कर रहे हैं। पंच परमेश्वर योजना में दी जाने वाली राशि तथा कार्य विवरण पर केन्द्रित विशेष लेख 'पंच परमेश्वर योजना आधारभूत विकास पर अमल' को हम 'योजना' स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं। इसी स्तम्भ में शामिल है तारासेवनिया बनेगा सर्वोत्तम आदर्श गाँव। पंचायती राज वैदिक और वनवासी समानताएँ इस आलेख को 'पंचायत' स्तम्भ में लिया गया है। अंत में 'पंचायत गजट' में ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत संचालित बैंक खाते ही मान्य।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिये

मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश में मनरेगा से 74 फीसदी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस से किये गये विकास कार्यों को देश भर में सराहा गया है। मनरेगा में कुल 1 करोड़ 2 लाख जॉबकार्डधारी परिवार हैं। प्रदेश में कुल 179 करोड़ 11 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। इसमें से अनुसूचित जाति के 32 करोड़ 54 लाख, अनुसूचित जनजाति के 73 करोड़ 88 लाख और महिला श्रमिकों को 77 करोड़ 41 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है।

मनरेगा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये मध्यप्रदेश को दो फरवरी को नई दिल्ली में दसवें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को दिया गया। मनरेगा में सौ दिन का काम करने वाले चयनित श्रमिक और पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि दल ने भी सम्मेलन में भागीदारी की। इस मौके पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सर्वश्री सुदर्शन भगत, राम कृपाल यादव और निहाल चंद उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश को वर्ष 2013-14 में मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस से ग्रामीण अंचलों में स्थाई आजीविका के

मनरेगा में प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार

- वर्ष 2009 में बैतूल एवं बालाघाट (वर्ष 2007-08 के लिये)
- वर्ष 2010 में बालाघाट एवं छिंदवाड़ा (वर्ष 2008-09 के लिये)
- वर्ष 2011 में अनूपपुर (वर्ष 2009-10 के लिये)
- वर्ष 2013 में बैतूल जिले की साकादेही पंचायत (वर्ष 2011-12)
- वर्ष 2014 में बैतूल जिले की बटकीडोह पंचायत (वर्ष 2012-13)

ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन के साफ्टवेयर को मिले राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार

- वर्ष 2011-12 में The Best Application Software developed and implemented in Madhya Pradesh की श्रेणी में राज्य शासन के आईटी विभाग द्वारा 10 जुलाई 2012 को Award for Excellence in e-Governance initiatives in MP
- India's best 2013 software की श्रेणी में 3 सितम्बर 2013 को प्रतिष्ठित Skoch Award ।
- वर्ष 2013 में CSI-Nihilent द्वारा 14 दिसम्बर 2013 को Award of Appreciation in field of e-Governance ।
- "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना" की ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम के लिए 18 सितम्बर 2012 को Skoch Digital Inclusion Award ।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा मनरेगा के सफल क्रियान्वयन एवं वित्तीय प्रबंधन के लिये निर्मित ऑनलाइन मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर- e-FMS (Electronic and Fund Management System) को वर्ष 2013 में India's इमेज 2013 software' की श्रेणी में स्कॉच फाउण्डेशन अवार्ड ।
- मनरेगा में मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों से मोबाइल से SMS के माध्यम से त्वरित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर MGNREGA SANCHAR MP के उपयोग के लिये वर्ष 2014 में India's Top Best 2014 की श्रेणी में स्कॉच अवार्ड ।

अवसर उपलब्ध करवाने और स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये यह पुरस्कार दिया गया। मनरेगा कन्वर्जेंस से स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और देश का रोल मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में मनरेगा से 74 फीसदी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस से किये गये विकास कार्यों को देशभर में सराहा गया है। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विभाग की योजनाओं के बारे में प्रदेश में किये गये उल्लेखनीय कार्यों का वर्णन किया और कहा कि प्रदेश में योजनाएँ सफलता से संचालित की जा रही हैं। श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा में कुल 1 करोड़ 2 लाख जॉबकार्डधारी परिवार हैं। प्रदेश में कुल 179 करोड़ 11 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। इसमें से अजा के 32 करोड़ 54 लाख, अजजा के 73 करोड़ 88 लाख और महिला श्रमिकों 77 करोड़ 41 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के त्वरित भुगतान तथा हिसाब-किताब में पारदर्शिता के मकसद से मध्यप्रदेश में अप्रैल 2013 से इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट व्यवस्था (ई-एफएमएस) लागू की गयी। इस अनूठी व्यवस्था से मजदूरों को उनकी मांग पर रोजगार मुहैया करवाने के साथ उन्हें समय पर मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है। ग्रामीण इलाकों को मजदूरी के साथ ही वेंडरों को सामग्री का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। मध्यप्रदेश ई-एफएमएस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में ई-एफएमएस से अब तक 30 लाख से अधिक ई-मस्टर जारी किये गये। इस प्रणाली से 4 करोड़ 71 लाख ट्रांजेक्शन कर 5617 करोड़ रुपये का भुगतान मजदूरों तथा सामग्री प्रदाता वेंडरों के बैंक खातों में किया जा चुका है।

● देवेन्द्र जोशी

मनरेगा में राष्ट्रीय पुरस्कार

रोल मॉडल बना मध्यप्रदेश

मनरेगा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा दसवें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 7 फरवरी को मंत्रि-परिषद् की बैठक के अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह राष्ट्रीय अवार्ड सौंपा। इस मौके पर राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों ने मनरेगा में मिली महत्वपूर्ण सफलता और पुरस्कार के लिये बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि मनरेगा में मध्यप्रदेश द्वारा देशभर में सर्वश्रेष्ठ कार्य किये गये हैं।

मनरेगा कन्वर्जेंस के जरिये प्रदेश में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण को सारे देश में सराहा गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा तथा आयुक्त मनरेगा श्रीमती सीमा शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

विगत 2 फरवरी, 2015 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह ने मनरेगा के दसवें सम्मेलन में नई दिल्ली में हुए समारोह में मध्यप्रदेश को मनरेगा में हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था। मध्यप्रदेश को वर्ष 2013-14 में मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस से ग्रामीण अंचलों में स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये यह पुरस्कार दिया गया। मनरेगा कन्वर्जेंस से स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और देश का रोल मॉडल बनकर उभरा है।

● चित्रा जोशी

कार्यों में उत्कृष्टता से मिला सम्मान

मध्यप्रदेश को मनरेगा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से ग्रामीण अंचलों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने और स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश में 74 प्रतिशत स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के उचित मार्गदर्शन और योजनाओं के क्रियान्वयन से हर हाथ को काम, सौ दिन के रोजगार की गारंटी के साथ प्रदेश के गाँवों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, स्थाई आजीविका, पर्यावरण, जल संरक्षण के लिए मनरेगा कन्वर्जेंस से बनायी उपयोजनाओं के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। प्रस्तुत है मनरेगा कन्वर्जेंस से बनी योजनाएं उनके क्रियान्वयन और परिणाम को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए रंजना चितले की हुई बातचीत के अंश-

गोपाल भार्गव
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय तथा सहकारिता विभाग

- **हाल ही में मध्यप्रदेश को मनरेगा कन्वर्जेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। मध्यप्रदेश में ऐसे क्या विशेष कार्य हुए जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ**

●● मध्यप्रदेश में मनरेगा कन्वर्जेंस के प्रभावी कदम उठाए गए। सबसे पहले गाँव की, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप योजना बनाई और फिर उसका क्रियान्वयन किया गया। कुल मिलाकर योजनाओं के साथ काम का शत-प्रतिशत तालमेल हुआ। उद्देश्य परिणाम में बदले और प्रदेश में 74 प्रतिशत स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में मनरेगा में कुल एक करोड़ 2 लाख जाबकार्डधारी परिवार हैं। इससे 179 करोड़ 11 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 32 करोड़ 54 लाख, अनुसूचित जनजाति के 73 करोड़ 88 लाख और महिला श्रमिकों को 77 करोड़ 41 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है।

- **मनरेगा कन्वर्जेंस से कौन-कौन से उल्लेखनीय कार्य किये गये?**

●● गाँव में आधारभूत संरचनाओं का विकास और आजीविका संवर्धन, आवागमन की सुनिश्चितता के साथ सड़कों का निर्माण हुआ। नाली सहित आंतरिक सीमेंट कांक्रीट रोड बनाई गयी। ग्रेवल सड़कों का निर्माण तथा पहुंच मार्ग को खेतों तक जोड़ा गया। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालयों का निर्माण, कचरे-कूड़े का निपटान, अपशिष्ट ठोस प्रबंधन, पानी की उचित निकासी। कुओं, तालाबों का निर्माण, पशुधन विकास के काम, पर्यावरण संरक्षण के साथ

आजीविका के तहत नंदन फलोद्यान, रेशम, वन्या परियोजनाओं को जोड़ा गया। सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया।

- **मनरेगा का अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस कर कौन सी योजनाएँ बनायी गयी तथा इससे लोगों को क्या फायदा हुआ?**

●● मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत 16 विभागों को शामिल किया गया इनमें आधारभूत संरचना के सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण के लिए पंचायत मद, सांसद, विधायक मद, राज्य वित्त आयोग तथा तेरहवाँ वित्त आयोग के साथ कन्वर्जेंस कर मनरेगा से 1442 करोड़ रुपये खर्च किये गये तथा पंच परमेश्वर से 4200 करोड़ रुपये खर्च कर 9 हजार किलोमीटर की नाली सहित आंतरिक सड़कों का निर्माण किया गया। मनरेगा में कुल 79286 कार्य पूर्ण किये गये तथा शेष 52986 कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कन्वर्जेंस से 15615 किलोमीटर ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया। 3 लाख 10 हजार कपिलधारा कुओं का निर्माण किया गया जिनमें से एक लाख से अधिक हितग्राहियों को बुंदेलखण्ड पैकेज व अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से डीजल, विद्युत पंप उपलब्ध कराये गये। कृषि विभाग के साथ कन्वर्जेंस कर मेरा खेत मेरी माटी योजना शुरू की गयी। पशुधन की वृद्धि और संवर्द्धन के लिए मनरेगा अंतर्गत 70866 केटल शेड, 1384 मुर्गी शेड तथा 12821 बकरी शेडों का निर्माण किया गया। पशुपालन विभाग के माध्यम से उन्नत किस्म के पशु भी उपलब्ध कराये गये हैं। सहकारिता विभाग और एकीकृत कार्य योजना का अभिसरण कर 383 गोदामों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 620 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। निर्मल भारत अभियान के साथ 291246 शौचालयों का निर्माण तथा महिला एवं बाल विकास के साथ कन्वर्जेंस कर 1897 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और उद्यानिकी के क्षेत्र में मनरेगा से 31 हजार 570 हैक्टेयर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यानिकी मिशन के साथ कन्वर्जेंस कर 1371 हैक्टेयर क्षेत्र में 258 लाख रुपये के कार्य हुए। रेशम विभाग के साथ 638 हैक्टेयर क्षेत्र में 729 लाख रुपये के कार्य हुए। वन विभाग के साथ वन्या उप योजना बनाकर 2552 हैक्टेयर क्षेत्र में 1485 लाख रुपये के कार्य हुए।

- **मनरेगा में कन्वर्जेंस के साथ और क्या नवाचार किये गये?**

●● मनरेगा में कन्वर्जेंस कर जहाँ अधोसंरचना, परिसंपत्तियों के विकास और निर्माण के लिए कार्य हुए वहीं विकास के साथ पारदर्शिता स्थापित करने के लिए हमने अप्रैल 2013 से इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एफ.एम.एस.) लागू किया। इस व्यवस्था में मांग के अनुसार जहां रोजगार उपलब्ध होता है वहीं मजदूरी का त्वरित भुगतान भी होता है। मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँच जाती है। वेंडरों को सामग्री का भुगतान भी सीधे बैंक खातों से होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से अब तक 20 लाख से अधिक ई-मस्टर जारी कर इस प्रणाली ने अपनी उपयोगिता साबित की है। इससे 4 करोड़ 71 लाख ट्रांजेक्शन कर 5617 करोड़ रुपये का भुगतान मजदूरों तथा सामग्री देने वाले वेंडरों के बैंक खातों में किया जा चुका है। प्रदेश में वाटरशेड प्रबंधन को लेकर विशेष नवाचार हुए हैं। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके तहत 29 लाख 35 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में 3522 करोड़ लागत की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जल ग्रहण प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग आधारित कार्य प्रणाली को अपनाया गया है। इससे वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण, संवर्धन तथा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और स्थाई आजीविका सुनिश्चित होगी।

- **मनरेगा के क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश ने जो स्थान प्राप्त किया है इसे बनाए रखने के लिए आगे और क्या प्रयास किये जायेंगे?**

●● कार्य की प्रक्रिया को सुचारु

रखना, समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन, समय पर भुगतान, कार्यों की मानीटरिंग, पारदर्शिता और सुशासन व्यवस्था को स्थापित करने का हम निरन्तर प्रयास करेंगे। कार्यों में, योजनाओं के क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। इसे और प्रभावी किया जाएगा। जो भी कमियां होंगी उसे सुधारने का प्रयास करेंगे इससे पंचायत राज व्यवस्था की संकल्पना साकार होगी और प्रगति का मार्ग और आगे बढ़ेगा।

- **राष्ट्रीय पुरस्कार के बाद मध्यप्रदेश मनरेगा में रोल मॉडल के रूप में उभरा है। क्या अन्य प्रदेशों ने आपके नवाचारों और क्रियान्वयन को लेकर आपसे चर्चा की है?**

●● उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश का भ्रमण किया है। कन्वर्जेंस कार्यों को सराहा है, अवलोकन किया है। इन नवाचारों को वे अपने प्रदेशों में लागू करने की योजना बना रहे हैं।

- **अभी पंचम पंचायत निर्वाचन सम्पन्न हुए हैं। आप नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

●● मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य किये जा रहे हैं। इसका प्रमाण है विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च कार्य के लिए प्रदेश को कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। हमें इस कार्य को और आगे बढ़ाना है। नये जनप्रतिनिधि कार्य को समझें, योजनाओं का पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन हो। प्रजातंत्र मजबूत हो। जनता ने जिस अपेक्षा के साथ आपको वोट दिया है उसे सार्थक करें और मुख्यमंत्री जी की मेक इन मध्यप्रदेश की कल्पना को आकार देने में सहयोग करें।

मध्यप्रदेश को लगातार तीसरी बार

कृषि कर्मण पुरस्कार

मध्यप्रदेश को 19 फरवरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में गेहूँ उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दो करोड़ सहित प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश को लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 फरवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ में राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी से बाहर निकला है। उन्होंने श्री चौहान द्वारा चलाये गये विकास अभियान की तारीफ की।

समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को गेहूँ उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार स्वरूप 2 करोड़ रुपये की राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र दिये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले थे। लेकिन मौसम की खराबी के कारण एयर ट्राफिक कंट्रोल द्वारा उड़ान की अनुमति नहीं मिलने से वह समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्यप्रदेश की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इसे बाद में मध्यप्रदेश को भेज दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने श्रेष्ठ उपलब्धियाँ हासिल की हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है। साथ ही आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने से ही मध्यप्रदेश ने गंगा और यमुना के कछार क्षेत्र वाले प्रदेशों को कृषि क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री ने गेहूँ की उत्पादकता में अधिकतम वृद्धि करने वाले मध्यप्रदेश के दो किसानों को व्यक्तिगत कृषि कर्मण पुरस्कार दिये। व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसानों में भोपाल जिले के श्री मनोहर पाटीदार और खण्डवा जिले की सुश्री रेखा सैनी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश को इस वर्ष लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश को वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में सम्पूर्ण खाद्यान्न के लिये कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2013-14 में गेहूँ उत्पादन में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने वर्ष 2011-12 में 19.85, वर्ष 2012-13 में 20.16 तथा वर्ष 2013-14 में 24.99 प्रतिशत (प्रावधानित) वृद्धि दर प्राप्त की है।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 में 174.78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उत्पादन हुआ। गेहूँ की उत्पादकता में विगत वर्ष 20.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश द्वारा गेहूँ में उत्पादकता में विगत वर्ष 20.15 फीसदी की वृद्धि करते हुए प्रति हैक्टेयर औसत 29.76 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन प्राप्त किया गया। मध्यप्रदेश में गेहूँ 57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में लिया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में 200 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उत्पादन का अनुमान है।

मध्यप्रदेश के किसान हुए सम्मानित

कृषि कर्मण अवार्ड

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लगातार सफलता अर्जित कर रहे मध्यप्रदेश को 19 फरवरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में गेहूँ उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये 2 करोड़ सहित, प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। लगातार तीसरी बार यह सम्मान हासिल कर प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गेहूँ का क्षेत्रफल और उत्पादन तथा उत्पादकता में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश के किसान भी उत्साहित हुए हैं।

प्रदेश के एक-एक महिला और पुरुष किसान को भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों कृषि कर्मण अवार्ड हासिल हुआ। इन्हें पुरस्कार के रूप में ट्राफी के साथ एक-एक लाख रुपये दिये गये। सम्मानित होने वाली महिला कृषक खंडवा जिले के केहलारी ग्राम की प्रगतिशील कृषक श्रीमती रेखा सैनी हैं। इन्होंने अपनी कुल 1.820 हैक्टेयर भूमि को आदर्श प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया है। इस रकबे में से कुल एक हैक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित है, श्रीमती सैनी इस भूमि का प्रयोग अधिकतम उत्पादन के लिये करती हैं। वर्ष 2013 में इनके द्वारा गेहूँ की किस्म एचआई 1544 ली गई जिसमें सभी उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने से इन्हें 47 क्विंटल 20 किलो का उत्पादन मिला जबकि खंडवा जिले और विकासखंड की सामान्य औसत उपज 32 क्विंटल 20 किलो ही है। इस प्रकार प्रति हैक्टेयर रुपये 44 हजार 410 की आय अर्जित कर, उन्होंने किसानों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। भोपाल के पास फंदा विकासखंड के ग्राम परवलिया सड़क के जैविक किसान मनोहर पाटीदार की कृषि विकास गतिविधियों में लगातार सक्रियता से अलग पहचान बनी है। भारत सरकार के अधिकारियों ने भी इनके प्रक्षेत्र का अवलोकन कर सराहना की है।

आधुनिक खेती के सभी यंत्र और उपकरणों का प्रयोग करने वाले मनोहर पाटीदार, इसके बिल्कुल विपरीत पुरातन पद्धति पर आधारित जैविक खेती के प्रयोग करने में भी अग्रणी हैं। पिछले वर्ष में पाटीदार ने अपने 2.279 हैक्टेयर रकबे में गेहूँ की जीडब्ल्यू 366 किस्म बोई जिसमें अनुशंसित उर्वरक की मात्रा के साथ गोबर की खाद का भी समुचित प्रयोग किया। पाटीदार द्वारा अपनाई गई तकनीक के परिणाम ने उनके साथ ही क्षेत्रीय किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। उन्हें प्राप्त गेहूँ की उपज भोपाल जिले की औसत उपज 30 क्विंटल से बहुत अधिक थी। इस प्रकार गेहूँ उत्पादन से उन्हें 1 लाख 23 हजार रुपये का शुद्ध लाभ मिला, जो खेती को लाभ की दिशा में ले जाने के प्रयासों के लिये प्रकाश स्तम्भ सा है।

प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.के. स्वाई, प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा कृषि संचालक श्री मोहन लाल के साथ कृषि विभाग ने इन दोनों किसानों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

मध्यप्रदेश में मनरेगा ने

हर कमजोर को सशक्त बनाया

हाल ही में मध्यप्रदेश को मनरेगा में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदेश को मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिये प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश देश का ऐसा अग्रणी राज्य है जहां सर्वाधिक स्थायी परिसंपत्तियां मनरेगा से निर्मित हुई हैं। यहां मनरेगा से लगभग 74 फीसदी स्थायी परिसंपत्तियां तैयार हुई हैं। प्रदेश में मनरेगा के तहत हर हाथ को काम देने के फार्मूले के साथ आजीविका संवर्धन तथा गांव में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में प्रदेश ने देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

प्रदेश में मनरेगा से एक साल में हर ग्रामीण परिवार को साल में सौ दिन के रोजगार की गारण्टी तो दी ही गयी साथ ही स्वच्छता, आजीविका, पर्यावरण, पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिये बनायी गयी उपयोजनाओं को बखूबी मूर्त रूप दिया गया।

प्रदेश में मनरेगा से तीन लाख दस हजार कपिलधारा कुओं का निर्माण किया गया। इनमें से एक लाख से अधिक हितग्राहियों को बुंदेलखण्ड पैकेज, आदिवासी विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम आदि से डीजल तथा विद्युत पम्प दिला कर सिंचाई का पक्का इंतजाम कर दिया है। सिंचाई संसाधन का लाभ ऐसे हितग्राही को मिला है, खुद की जमीन पर सिंचाई का साधन होना जिनका कभी सपना हुआ करता था। आज कपिलधारा कूप के मालिक साल में दो से तीन फसलें लेकर उन्नत कृषक कहलाने लगे हैं। कपिलधारा कुओं के बनने से प्रदेश में तकरीबन 4 लाख 20 हजार हैक्टेयर सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश में हो रही दिन-प्रतिदिन फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी की सफलता में कपिलधारा कुओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

सिंचाई के साधन के साथ-साथ वृक्षारोपण के सहारे मनरेगा ने अतिरिक्त आमदनी के स्रोत भी बढ़ाये हैं। प्रदेश में मनरेगा की नंदन फलोद्यान, रेशम, वन्या उप योजनायें गरीब तबके के लोगों की अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। नंदन फलोद्यान उपयोजना के तहत 31570 हैक्टेयर रकबे में फलदार पौधों की विभिन्न प्रजातियों के एक करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये। ये पौधे गरीब तबके के हितग्राहियों की आमदनी बढ़ा रहे हैं। पौधों से फल की उपज ने अतिरिक्त आमदनी के साथ-साथ परिवार के कुपोषण को दूर करने में भी मदद की है। मनरेगा में वन, पर्यावरण और उद्यानिकी की दिशा में भी कारगर प्रयास किये गये। रेशम उपयोजना के तहत रेशम विभाग के साथ संयोजन कर 638 हैक्टेयर जमीन में 66 लाख 83 हजार शहतूत के पौधे रोपकर रेशम उत्पादन में सहायक बनी। जिन हितग्राहियों को रेशम उपयोजना का फायदा मिला है वे आज सालाना तकरीबन पचास हजार से अधिक कमा रहे हैं। इसी तरह वन्या उपयोजना के माध्यम से 2252 हैक्टेयर जमीन पर तकरीबन 34 लाख पौधे रोपे गये। जो पर्यावरण को सहेज रहे हैं।

मनरेगा से वनवासी पट्टाधारियों की आजीविका संवर्द्धन की दिशा में भी सकारात्मक प्रयास हुए हैं। वनवासी पट्टाधारियों की जमीन को उपजाऊ बनाकर सिंचाई की सुविधा भी मनरेगा वनवासी

मनरेगा के नौ साल : योजना प्रारंभ से अब तक

जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या	1.02 करोड़
काम पर उपस्थित परिवारों की संख्या (औसतन)	38 लाख
कुल सृजित मानव दिवस	17925.03 लाख
अनुसूचित जाति के मानव दिवस	3254.77 लाख
अनुसूचित जनजाति के मानव दिवस	7378.76 लाख
महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस	7741.87 लाख
सौ दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार (औसतन)	491796
कुल व्यय (राशि रुपये)	27941.80 करोड़
मजदूरी पर व्यय (राशि रुपये)	16686.33 करोड़

संवर्धन उपयोजना के माध्यम से कराई जा रही है। वनवासी संवर्द्धन उपयोजना के तहत 40 हजार से अधिक कार्य पूर्ण एवं प्रगतिरत हैं।

मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा भी हुई है। खासकर मनरेगा व पंच परमेश्वर योजना के कन्वर्जेंस से गांव की गलियां सीमेण्ट कांक्रीट की बनने से कीचड़ दलदल से मुक्त हैं। नाली सहित सीमेंट कांक्रीट रोड ने गांवों में पानी की उचित निकासी तथा आंतरिक आवागमन को दुरुस्त कर स्वच्छता लाने में कामयाबी हासिल की है। आंतरिक पथ सीमेण्ट कांक्रीट रोड के 79286 कार्य पूर्ण तथा 52986 कार्य प्रगतिरत हैं। गांवों में स्वच्छता लाने और खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मनरेगा तथा स्वच्छता अभियान के संयोजन से 291246 शौचालय निर्मित कराये गये हैं।

मनरेगा व बीआरजीएफ योजना तथा राज्य योजना मद के कन्वर्जेंस से मुख्यमंत्री सड़क योजना से प्रदेश में 15615 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो जाने से दूर दराज के गांवों को मुख्य मार्गों तक बारह महीने की कनेक्टिविटी मिली है। इन सड़कों के बनने से सुदूर अंचल से शहरों तक लोगों की राह आसान हुई है।

पशुपालन की दिशा में मनरेगा से 70866 पशुशेड 1384 मुर्गी शेड तथा 12821 बकरी शेडों का निर्माण किया गया है। पशुओं के लिये आसरा बन जाने से पशुपालन को बढ़ावा मिला साथ ही मौसमी बीमारियों से पशुओं की बचत होने लगी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के विकास के लिये खेल मैदान के समतलीकरण का काम भी मनरेगा से किया गया है। मनरेगा की ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना से पांच हजार काम पूरे कराये जा चुके हैं तथा 11 हजार काम प्रगति पर हैं। खेतों को सुधार प्राथमिकता से लेकर 389381 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 470049 कार्य प्रगतिरत हैं भूमि सुधार के इन कार्यों से खेतों में नमी एवं खेत का पानी खेत में की परिकल्पना भी साकार हो रही है। गांवों में आधारभूत सुविधाओं के लिये मनरेगा व अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से आंगनवाड़ी भवन, अनाज गोदाम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) के निर्माण होने से लोगों को रोजगार के साथ बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिये 1 अप्रैल 2013 से संपूर्ण प्रदेश में एक साथ इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एफ.एम.एस.) लागू किया गया है। यह एक पारदर्शी व्यवस्था है। जिसमें मजदूरी की मांग से लेकर मजदूरी भुगतान तक की समूची प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन है। पूरे प्रदेश में समस्त भुगतानों के लिए इस व्यवस्था को एक साथ लागू करने वाला मध्यप्रदेश, देश का प्रथम राज्य रहा है।

● **अनिल गुप्ता**

मनरेगा से रोजगार

मनरेगा ने साल में सौ दिन में काम की गारण्टी के साथ गांव के विकास में महती भूमिका निभायी है। कटनी जिले में वर्ष 2014-15 में मनरेगा के तहत 78 हजार परिवारों को काम दिया गया जिससे तकरीबन 27 लाख मानव दिवस सृजित हुए। वर्ष 2014-15 में 57 करोड़ 34 लाख रुपये से सामुदायिक भवन, ग्रेवल सड़क, तालाब, कन्टूर ट्रेंच, कन्वर्जेस से सीमेंट कांक्रीट सड़क के कार्य कराये गये हैं। जिससे सीधे ग्रामीणजनों को लाभ पहुंचा है। इसी योजना में हितग्राहीमूलक कार्यों में पशु शेड, कपिल धारा कूप, मेढ़ बंधान, शौचालय का निर्माण किया गया है। जिससे संबंधित हितग्राहियों को लाभ मिला है। कपिलधारा कूप, मेढ़ बंधान से फसलों की उपज में वृद्धि हुई है।

तेवरी के विकास में सहायक बनी मनरेगा - विकास की एक कड़ी में ग्राम पंचायत तेवरी में महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत हितग्राहीमूलक एवं सामुदायमूलक कार्य कराये गये हैं। जिससे ग्रामीणजनों को बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है साथ ही हितग्राहीमूलक कार्यों से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है।

कटनी जिले की ग्राम पंचायत तेवरी में 10 कार्यों पर लगभग 31 लाख 86 हजार रुपये व्यय किये गये हैं। यह राशि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत व्यय की गई है। तालाब निर्माण तेवरी पर 4 लाख 34 हजार रुपये मुरम मिट्टी मार्ग तालाब से हडौंडी के खेत तक निर्माण कराया गया। जिस पर 3 लाख 29 हजार रुपये कंटूर ट्रेन्च, लेहमिहर बटिया में 3 लाख 62 हजार रुपये लगभग व्यय किये गये।

इस पंचायत में लीला सिंह के खेत में समतलीकरण के कार्य पर 45 हजार रुपये, शमशेर सिंह के खेत में समतलीकरण कार्य पर लगभग 39 हजार रुपये व्यय किये गये। शंकर जी की भटिया में वृक्षारोपण कार्य पर 4 लाख 51 हजार रुपये मस्तान शाह से मिलन ढोल तक सीमेंट कांक्रीट रोड के निर्माण पर 4 लाख 36 हजार रुपये, बरहां कुआं से पावर हाउस तक सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण पर 4 लाख 94 हजार रुपये, बद्री ढोल से दशरथ कुम्हार तक सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण पर 3 लाख 47 हजार रुपये, कैलाश के घर से अनुरुद्ध के घर तक सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण पर लगभग 2 लाख 45 हजार रुपये व्यय किये गये। इन कामों से तेवरी पंचायत के निर्माण कार्यों में तालाब निर्माण से क्षेत्र में ग्रामीणजनों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। यह पानी ग्रामीणजनों द्वारा दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तालाब निर्माण से लगभग 50 से अधिक परिवारों को पानी की कमी से निजात मिली है।

तेवरी पंचायत में मिट्टी मुरम मार्ग से दो गांवों को जोड़ने के लिये रास्ते का निर्माण किया गया है। पूर्व में यह पगडंडी जैसा रास्ता था। जिससे कृषकों तथा ग्रामीणजनों को आने जाने में असुविधा होती थी। इस रास्ते के निर्माण से ग्राम बिछुआ व सलैयाप्यासी तक जाने में सुविधा हुई है। इससे लगभग 100 कृषकों को खेती का सामान ले जाने की भी सुविधा मुहैया हो सकी है। वहीं कृषकों के यहां खेत में समतलीकरण कार्य से ऊबड़-खाबड़ जमीन को खेती योग्य बनाया गया है। जिससे कृषकों की कृषि उपज में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायत तेवरी में चार सीसी सड़क निर्माण कार्य से आस-पास के ग्रामीणजनों को एक बेहतर मार्ग प्राप्त हुआ है। जिससे बारिश में कीचड़ होने, जैसी समस्याओं से छुटकारा मिला है। कन्टूर ट्रेन्च के निर्माण से इस क्षेत्र में जल संवर्द्धन का कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत तेवरी में इन कार्यों के हो जाने से तेवरी के ग्रामीणजनों को सड़क, पानी तथा कृषि उपज में वृद्धि जैसी सुविधा प्राप्त हुई है। इन कार्यों पर लगभग 31 लाख 86 हजार रुपये की राशि व्यय हुई है।

● **संदीप श्रीवास्तव**

मनरेगा कन्वर्जेंस - स्वच्छता

देवास जिले में 1.97 लाख से अधिक शौचालय निर्मित

दो लाख परिवारों को मिली खुले में शौच से मुक्ति

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में मर्यादा अभियान के तहत निर्मल भारत अभियान अंतर्गत 1 लाख 97 हजार 053 पक्के शौचालय निर्मित हुए हैं। इससे जिले में 90646 बीपीएल परिवारों तथा 106407 एपीएल ग्रामीण परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उल्लेखनीय है कि जिले में तयशुदा लक्ष्य से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है जो कि स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता और शासकीय मशीनरी की कर्मठता का प्रतीक है। जिले में शौचालय निर्माण के लिये 165668 का लक्ष्य था वर्तमान में जिले में 1.97 लाख शौचालय बन चुके हैं जो कि लक्ष्य से 31.36 प्रतिशत अधिक हैं।

शाला शौचालय की दिशा में भी देवास जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में जिले में 2316 से अधिक शौचालय बनाये जा चुके हैं जो निर्धारित लक्ष्य (1927) से अधिक है। जिले में 42 सेनेटरी काम्पलेक्स, 29 आंगनवाड़ी शौचालयों का भी निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर जिले में लक्ष्य से अधिक 133 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। मर्यादा अभियान अंतर्गत 3416.82 लाख (34 करोड़ 16 लाख 82 हजार) की लागत से 123 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो जिले का गौरव है।

11975 से अधिक शौचालय का निर्माण

राज्य शासन द्वारा स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिये निर्मल भारत

अभियान को मनरेगा से अभिसरण कर मर्यादा अभियान के रूप में विशेष रणनीति बनाकर क्रियान्वित किया जा रहा है। मर्यादा अभियान के प्रावधान अनुसार मर्यादा अभियान अंतर्गत निर्मल भारत अभियान तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अभिसरण से शौचालय निर्माण के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित शौच का स्थान उपलब्ध हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा अभिसरण से अब तक 11975 से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। जिसमें वर्ष 2014-15 में 5981 से अधिक शौचालय का निर्माण शामिल है। सबसे अधिक शौचालय विकासखंड टोंकखुर्द 1552, देवास 1551 तथा सोनकच्छ में बने हैं।

यही नहीं वित्तीय वर्ष 2014-15 में देवास जिले के कई ग्रामों में तो शौचालय के क्षेत्र में मानो क्रांति ही आ गई है। टोंकखुर्द का दोन्ताजागीर एक ऐसा गांव है यहां पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 306 शौचालयों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार देवास के क्षिप्रा ग्राम पंचायत में 288 शौचालयों का निर्माण हुआ है। सोनकच्छ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत गंधर्वपुरी में भी 244 शौचालयों का निर्माण मनरेगा अभिसरण अंतर्गत किया गया है। ग्राम पंचायत डिंगरोदा 195, सिरोल्या 132, चिचलाय 106, मेडकीधाकड़ 94, कांकड़दा 88, खोनपीर पिपल्या 66, बिजेपुर में 71 शौचालयों का निर्माण हुआ है। शौचालय के निर्माण में तेजी से यहां के लोगों की जिंदगी ही बदल गई है।

जिलें में शौचालय निर्माण	
• शौचालय निर्माण लक्ष्य	1,65,668
• उपलब्धि	1,97,053
• लाभान्वित बीपीएल	90,646
• लाभान्वित एपीएल परिवार	1,06,407
• मनरेगा अभिसरण से निर्मित शौचालय	11975
• मनरेगा अभिसरण से वर्ष 2014-15 में	
• निर्मित शौचालय	5,784
• शालेय शौचालय	2,316
• आंगनवाड़ी शौचालय	29
• सेनेटरी काम्पलेक्स,	42

गंधर्वपुरी की सौरमबाई पति राजासिंह कहती हैं कि घर में शौचालय बनने से उनकी व उनके परिवार की जिन्दगी ही बदल गई है। ग्राम पंचायत घिचलाय की मंजू पति ओमप्रकाश भी शौचालय निर्माण से बेहद खुश नजर आती हैं।

बिजेपुर के लखनसिंह, मेडकीधाकड़ के महेश, श्रीपुरा के अर्जुन, सलीम, सिरोल्या के बाबूलाल भागवतीबाई, बुलीबाई, गुलाबबाई घीसू का कहना है कि शौचालय निर्माण होने से परिवार की महिलाओं तथा बच्चों को ही नहीं हम सभी को भी सुविधा हुई है।

● **प्रीति मजूमदार**

मध्यप्रदेश में मनरेगा आज

मध्यप्रदेश को भारत सरकार ने मनरेगा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से ग्रामीण अंचलों में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए मिला। मध्यप्रदेश आजीविका उपलब्ध कराने में देश में सबसे आगे रहा। मनरेगा कन्वर्जेंस से प्रदेश के गाँवों में स्थाई परिसंपत्तियों का सर्वाधिक निर्माण किया गया वो भी पूर्ण उत्कृष्टता के साथ।

यह एक आयोजना का बेहतर उपयोग और सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। इस समय देश में और प्रांतों में सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। पर किसी योजना को उसके उद्देश्य तक ले जाने का कार्य अपने आप में एक मिसाल है, जो मध्यप्रदेश ने कायम की है।

मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं वह इसलिए संभव हुए क्योंकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्वर्जेंस के प्रभावी कदम उठाए। प्रदेश के गाँवों की आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप इसमें उपयोजनाओं को जोड़ा। मनरेगा के तहत दिये जाने वाले सौ दिवस के रोजगार के साथ कार्यों का ऐसा तालमेल बैठाया कि प्रदेश के गाँव स्थाई परिसंपत्तियों से समृद्ध हो गये। प्रदेश में 74 फीसदी देश में सर्वाधिक स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। एक करोड़ दो लाख परिवारों को जाबकार्ड दिए जा चुके हैं जो रोजगार को लेकर सुनिश्चित हैं। प्रदेश में 179 करोड़ 25 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। इसमें से अनुसूचित जाति के 32 करोड़ 52 लाख, अनुसूचित जनजाति के 73 करोड़ 88 लाख और महिला श्रमिकों को 77 करोड़ 36 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में सौ दिन के रोजगार की सुनिश्चितता के साथ आयोजनाओं का ऐसा ताना-बाना बुना गया कि इसके परिणामों से गाँव का किसान, हर वर्ग जुड़ा और खेत खलिहान समृद्ध हुए।

मेरा खेत मेरी माटी और मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना से सकारात्मक स्पर्धा का माहौल बना। खेत में तालाब, मेढ़ बंधान, जल निकासी, नालियों के रख-रखाव, भूमि को खेती योग्य बनाने की ठोस रणनीति के परिणाम दिखाई देने लगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से छूटे क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए मजरे टोले और खेत को सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना से बारहमासी सड़क से जोड़ा गया। गांव में अनाज के भण्डार की व्यवस्था के लिए मनरेगा कन्वर्जेंस से 10 हजार 280 गोदाम बनाने की आयोजना बनी। अब आधुनिक एवं वैज्ञानिक खाद्य अनाज भण्डारण सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। अनाज गोदाम वितरण प्रणाली केन्द्रों पर अनाज भण्डारण के लिए 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया गया।

कन्वर्जन के तहत स्वच्छता, साफ सफाई, जल संग्रहण और आवश्यक भवनों का निर्माण जिसमें मर्यादा उपयोजना से शौचालय युक्त आंगनवाड़ी का निर्माण, शाला भवन के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।

आजीविका से सम्मान तक

आंतरिक पथ निर्माण उपयोजना में सीमेंट कांक्रीट रोड, नाली निर्माण, जल निकास की व्यवस्था की गयी। भवनविहीन ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण, ई-पंचायत कक्ष का निर्माण, समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट योजना में गाँव के समूह का सर्वांगीण विकास और स्थाई आजीविका के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट अवधारणा लागू की गई जिसमें मनरेगा, राज्य शासन के ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के समन्वय द्वारा खेती को लाभप्रद बनाने और आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अशासकीय संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। 15 विभागों की योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ आजीविका के स्थाई संसाधन उपलब्ध हुए हैं। कपिलधारा कूप उपयोजना में लगभग तीन लाख 10 हजार कुएं निर्मित किये गये। 4 लाख 20 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का संवर्धन किया गया जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। नदी-नालों पर श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं का निर्माण, लघु तालाब व नहरों का रख-रखाव, गौशालाओं का विकास, खेल सुविधाओं का विकास, आंतरिक पथ निर्माण, वृक्षारोपण, वन संपदा का संरक्षण, जल कटाव, जल बहाव को रोकने का इंतजाम, पशुधन विकास के अलावा हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि सुधार, बागवानी का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुशासन पर बल दिया है। विकास के साथ पारदर्शिता स्थापित करने का प्रयास किया है। मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का तुरंत भुगतान और हिसाब-किताब में पारदर्शिता लाने के लिए ही अप्रैल 2013 में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट व्यवस्था (ई.एफ.एम.एस.) लागू की गयी। इस व्यवस्था में मांग के अनुसार समय पर रोजगार भी मिलता है और मजदूरी का त्वरित भुगतान भी होता है। इससे श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके खाते में पहुँच जाती है। वेंडरों को सामग्री का भुगतान भी सीधे उनके बैंक खातों में ही किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से अब तक 20 लाख से अधिक ई-मस्टर जारी कर इस प्रणाली ने अपनी उपयोगिता साबित की है। इससे 4 करोड़ 71 लाख ट्रांजेक्शन कर 5617 करोड़ रुपये का भुगतान मजदूरों तथा सामग्री देने वाले वेंडरों के बैंक खातों में सीधे किया जा चुका है। इस प्रणाली के लागू होने से कार्य की गति बढ़ने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। सुशासन व्यवस्था के अमल का इससे बेहतर प्रबंध पूर्व में शायद ही कभी किया गया हो। मध्यप्रदेश में मनरेगा का रचनात्मक कन्वर्जन हुआ और उसका यथार्थपरख क्रियान्वयन किया गया। इसके परिणाम सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मध्यप्रदेश को कृषि उपज में सर्वोच्च उत्पादन के लिए लगातार तीसरे साल कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। प्रदेश में योजना और उपयोजनाओं का इतना व्यापक और बेहतर विस्तार हुआ कि मध्यप्रदेश को विकास के लिए मिलने वाले पुरस्कारों का अम्बार लग गया। मनरेगा कन्वर्जेंस से श्रम को सार्थक करते हुए मध्यप्रदेश ने विकास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

● **जीवन धनवारे**
(समर्थ फीचर्स)

प्रदेश को वाटरशेड प्रबंधन और भूमि विकास का राष्ट्रीय सम्मान

मध्यप्रदेश को 19 फरवरी को वाटरशेड प्रबंधन और भूमि विकास कार्यों में प्रशंसनीय नवाचारों के लिये नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने गरिमापूर्ण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने मध्यप्रदेश के प्रयासों को अनुकरणीय बताते हुए अपनाये गये नवाचारों की प्रशंसा की। प्रदेश की ओर से संयुक्त आयुक्त ग्रामीण विकास श्री विकास दवे ने सम्मान को ग्रहण किया। केन्द्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास श्री सुदर्शन भगत समारोह में उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन में परिणाममूलक कार्य के लिये रिमोट सेंसिंग आधारित कार्य-प्रणाली को श्रेष्ठ श्रेणी में रखते हुए केन्द्र ने बेस्ट प्रेक्टिसेस सम्मान दिया है। प्रदेश में कार्यक्रम में वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में जल-संरक्षण, संवर्धन तथा मृदा-संरक्षण का कार्य किया जा रहा है ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर संवहनीय ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में प्रदेश में 29 लाख 35 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में 3522 करोड़ लागत की परियोजनाएँ संचालित हैं।

प्रदेश में वाटरशेड परियोजनाएँ एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में क्रियान्वित की जा रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण, संवर्धन तथा मृदा संरक्षण का कार्य करना है, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर संवहनीय ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं। परियोजना स्तर पर पूर्णकालिक वाटरशेड डेव्हलपमेंट टीम की नियुक्ति की गई है। स्वयंसेवी संगठनों और कॉरपोरेट संगठनों को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के लिए पी.आर.ए. और नेट प्लान जैसे सर्वेक्षण के अतिरिक्त रिमोट सेंसिंग एवं जी.आई.एस. आधारित प्लानिंग को भी अपनाया गया है। परियोजना कार्यों की सतत् मॉनीटरिंग के लिये एनरॉइड मोबाइल आधारित एप्लीकेशन "डब्लूएमजीओ" का उपयोग किया जा रहा है।

कार्यक्रम में रिमोट सेंसिंग आधारित प्लानिंग के लिए कार्टोसेट-1 सेटेलाईट का हाई रेजोल्यूशन पेनक्रोमेटिक डेटा और लिस-4 का हाई रेजोल्यूशन डेटा तथा जियोरिफ्रेन्स खसरा नक्शे का उपयोग किया गया है। इस डिजिटल डाटा का उपयोग करते हुए 1 : 10000 स्केल के नामतः माइक्रो वाटरशेड बाउंड्री, ड्रेनेज, खसरा, एवं कंटूर नक्शा तैयार किये गये हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक रंग की सेटेलाइट इमेजरी भी तैयार की गई है। इन नक्शों का उपयोग करते हुए विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यों - गलीप्लग, गेबियन, चेकडेम, स्टाप डेम, तालाब, फॉर्म पोण्ड, कंटूर ट्रेंच, फील्ड बण्ड, वृक्षारोपण और चारागाह विकास के लिए उपयुक्त स्थलों का निर्धारण कर प्लान फील्ड टीम को दिया गया है। प्लान के अनुसार तथा फील्ड में टीम द्वारा स्वयं की गई नेट प्लानिंग के आधार पर ग्रामवार अंतिम कार्य-योजना तैयार की गई है।

मध्यप्रदेश पुरस्कृत

ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए 15 फरवरी को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने यह पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से विज्ञान भवन में रि-इन्वेस्ट-2015 कांफ्रेंस में ग्रहण किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने ऊर्जा के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय प्रगति का श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किये गये अभिनव प्रयासों का ही फल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में 24X7 दस घंटे और रिहायशी इलाकों के लिए बेरोकटोक 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवायी जा रही है।

मध्यप्रदेश को नीमच में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र (2X450 मेगावॉट) स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया है। कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के रीवा में विश्व के सबसे बड़े सौर संयंत्र (750 मेगावॉट) स्थापित करने की आधारशिला रखने का भी उल्लेख किया गया। प्रदेश में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 450 मेगावॉट के दो संयंत्र स्थापित करने का भी कार्य किया गया है।

नई दिल्ली में रि-इन्वेस्ट -2015 सम्मेलन का उद्देश्य देश में नवकरणीय ऊर्जा के महत्व को बताना और इसके माध्यम से देश में सभी उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर ऊर्जा उपलब्ध करवाना है। कैबिनेट सचिव श्री अजीत सिंह, केन्द्रीय सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री एस.आर. मोहंती, आयुक्त एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्रीमती गौरी सिंह सहित अन्य राज्य के मंत्री एवं अधिकारी मौजूद थे।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पाँच मेगावॉट से कम के संयंत्र स्थापित करने छोटे एवं मझोले निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही नई नीति बनाएगी। श्री शुक्ल ने तीन दिवसीय रि-इन्वेस्ट 2015 सम्मेलन के समापन सत्र पर यह बात कही। सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने निवेशकों से भी बातचीत कर उन्हें आमंत्रित किया ।

मध्यप्रदेश की पहली स्मार्ट वाय-फाय सिटी गढ़ाकोटा

गढ़ाकोटा मध्यप्रदेश की पहली नगर पालिका है, जहाँ सभी को मुफ्त इंटरनेट सेवा मिलेगी। इस अनूठी योजना की शुरुआत से इस नगर के युवाओं को सभी विषयों से संबंधित जानकारियाँ निःशुल्क मिलेंगी। इस क्षेत्र के कई युवाओं ने तकनीकी शिक्षा बाहर से ग्रहण की है और अच्छा पैकेज मिलने के बाद भी उन्होंने इसी क्षेत्र के विकास की सेवा करने का निर्णय लिया। ऐसे युवाओ की बदौलत यह नगर हाईटेक बन गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 15 जनवरी को सागर जिले में गढ़ाकोटा नगर पालिका को स्मार्ट वाय-फाय सिटी बनाने की योजना के साथ ही निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने नगर पालिका की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया।

पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि गढ़ाकोटा मध्यप्रदेश की पहली नगर पालिका है, जहाँ सभी को मुफ्त इंटरनेट सेवा मिलेगी। इस अनूठी योजना की शुरुआत से इस नगर के युवाओं को सभी विषयों से संबंधित जानकारियाँ निःशुल्क मिलेंगी। श्री भार्गव ने कहा कि इस क्षेत्र के कई युवाओं ने तकनीकी शिक्षा बाहर से ग्रहण की है और अच्छा पैकेज मिलने के बाद भी उन्होंने इसी क्षेत्र के विकास की सेवा करने का निर्णय लिया। ऐसे युवाओं की बदौलत यह नगर हाईटेक बन गया है।

श्री भार्गव ने कहा कि एक माह के भीतर गढ़ाकोटा को पूर्ण सुरक्षित नगर बनायेंगे। नगर के प्रमुख स्थल, चौराहों और गलियों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगेंगे। इस व्यवस्था से गढ़ाकोटा नगर में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यह पूर्ण सुरक्षित नगर बन जायेगा। श्री भार्गव ने कहा कि इंदौर और भोपाल जैसे महानगर तक आधुनिक तकनीकी विकास देखा जा रहा था, लेकिन अब गढ़ाकोटा जैसे कस्बाई इलाके में इसकी शुरुआत हो गई है।

पंचायत मंत्री ने कहा कि समाज नशा मुक्त बने, प्रत्येक बच्चा पढ़ने जाये, खुले में शौच न करे, सबके पास मकान हो और हर गरीब को सस्ता अनाज मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएँ सुलभ हो जायें तभी सच्चे अर्थों में समाज का विकास हो सकेगा। श्री भार्गव ने कहा कि शीघ्र ही सागर जिले की नगर पालिका शाहपुर को भी स्मार्ट निःशुल्क वाय-फाय सुविधा जोन बनाने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री अभिषेक भार्गव ने गढ़ाकोटा में मुफ्त वाय-फाय सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। समारोह को नगर पालिका अध्यक्ष श्री भरत चौरसिया, उपाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जारोलिया और महाविद्यालय के प्राचार्य श्री पचौरी ने भी सम्बोधित किया।

मध्यप्रदेश को मिला राष्ट्रीय ग्रीनटेक सीएसआर गोल्ड अवार्ड

मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय ग्रीनटेक सी एस आर (कारपोरेट-सोशल रिस्पांसिबिलिटी) गोल्ड अवार्ड-2014 से नवाजा गया है। यह अवार्ड स्थानीय समुदाय और पर्यावरण का विकास तथा संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया है। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वन विकास निगम श्री आर.एन. सक्सेना के नेतृत्व में गई टीम ने गत 29 जनवरी 2015 को कोलकाता में ग्रीनटेक एन्वायरमेंट एण्ड सी.एस.आर. की वार्षिक कांफ्रेंस में अवार्ड ग्रहण किया। पुरस्कृत टीम ने वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार को यह अवार्ड सौंपा। वन मंत्री ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

डॉ. शेजवार ने कहा कि वन विकास निगम प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (पीटीएस) का कम से कम दो प्रतिशत सामाजिक दायित्वों पर व्यय करता है।

निगम में वर्ष 2014 में स्थानीय समुदायों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए मछली पालन एवं कोसा कृमि पालन के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर निर्मित किये हैं। प्रदेश में निगम ने 617 तालाब बनवाए जिनमें स्थानीय समुदाय को न केवल बड़ी मात्रा में मछली मिली बल्कि खेतों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सका। इन गाँवों में स्वास्थ्य शिविरों के साथ ही युवाओं को खेलकूद सामग्री भी वितरित की गई है।

श्री आर.एन. सक्सेना ने बताया कि निगम ने पर्यावरण सुधार और वनों के विकास के लिए 2 लाख 71 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सागौन और बाँस के वन लगाये हैं। इससे पैदा वन सम्पदा का शुद्ध मूल्य 3500 करोड़ रुपये से अधिक है। निगम हर साल वन समितियों को लाभांश देता है। पिछले 6 वर्ष में वन समितियों को 24 करोड़ 59 लाख रुपए का लाभांश दिया गया है।

जिलों से माँगे गये मरम्मत योग्य शौचालयों के प्रस्ताव

राज्य शासन ने वार्षिक कार्य-योजना 2015-16 में शामिल करने के लिये जिलों से मरम्मत योग्य शौचालयों के प्रस्ताव माँगे हैं। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को स्कूलों के मरम्मत योग्य शौचालयों के मेजर/माइनर रिपेयर्स के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। यदि जिले द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजे जाते तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक की होगी। यह समझा जायेगा कि जिले में मरम्मत योग्य शौचालय नहीं हैं।

वर्तमान में वार्षिक कार्य-योजना 2015-16 तैयार की जा रही है। इसमें जिले द्वारा चिन्हांकित मरम्मत योग्य शौचालय के सभी प्रस्ताव को मेजर/माइनर रिपेयर्स में शामिल किया जा रहा है। यह सभी जिलों के लिये अनिवार्य गतिविधि है। सहायक यंत्री/उप यंत्री द्वारा शाला में पूर्व से बने शौचालय के निरीक्षण के बाद जरूरी मरम्मत का कार्य प्रस्तावित किया जाना है। प्रस्तावित कार्यों के अलग-अलग प्राक्कलन फोटो सहित भारत सरकार की निर्धारित गाइड-लाइन के आधार पर तैयार किये जाना हैं। प्रस्ताव में शौचालय के निर्माण के वर्ष का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। मेजर मरम्मत की लागत नये शौचालय की लागत का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। शौचालय के मरम्मत योग्य कार्य के न्यूनतम 3 विभिन्न कोण से लिये गये रंगीन छायाचित्र भी प्रस्ताव के साथ लगाना होगा। शाला प्रबंध समिति एवं तकनीकी अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्ताव के साथ भेजने को कहा गया है। तैयार प्राक्कलन की सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति भी करवाना होगी।

मध्यप्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक में बनेगी ग्रामीण सड़क विकास और सुधार नीति

मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विकास और सुधार के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य हुए हैं। पिछले वर्षों में देश के अनेक राज्य के प्रतिनिधि-मंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और पंच-परमेश्वर योजना के जरिये मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं के विकास का अवलोकन कर अपने-अपने राज्य में इन योजनाओं को लागू किया है। इसी सिलसिले में कर्नाटक राज्य के जन-प्रतिनिधियों की समिति ने 8 जनवरी को भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर विभिन्न ग्रामीण सड़क योजनाओं की विशेषताओं को जाना।

कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास और सुधार के लिये बनाई जाने वाली नीति और कार्य-योजना का ड्राफ्ट तैयार करने विधायक श्री ईश्वरा खांडरे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तेरह सदस्यीय इस समिति में विधायक तथा विधान परिषद के सदस्य और वरिष्ठ शासकीय अधिकारी शामिल हैं।

ग्रामीण सड़कों के विकास और सुधार कार्यों के अध्ययन के लिये प्रदेश के तीन दिवसीय भ्रमण पर आई कर्नाटक की समिति ने यहां बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।

समिति के सदस्यों ने ग्रामीण सड़क तथा आवास विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अलका उपाध्याय से चर्चा कर मध्यप्रदेश में क्रियान्वित ग्रामीण सड़क विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में विभिन्न वित्तीय संसाधनों तथा मनरेगा अभिसरण से संचालित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, पंच-परमेश्वर, सुदूर ग्राम संपर्क सड़क और खेत सड़क योजना की विशेषताओं के बारे में भी प्रस्तुतीकरण हुआ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिये ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर प्राप्त पेंशन योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा रहा है। अब तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के सभी जिलों से कुल 3,698 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 442 आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं तथा 141 आवेदन-पत्र निरस्त हुए हैं। शेष 3,115 आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई जारी है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने समस्त कलेक्टरों (जिला मिशन लीडर) को पत्र भेजकर पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन-पत्रों का निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। समस्त जनपद पंचायत और नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर पात्रतानुसार पेंशन लाभ स्वीकृत या अस्वीकृत करने का कार्य निर्धारित समय-सीमा में सपन्न करें। पोर्टल पर पात्रता के आधार पर पेंशन का लाभ प्राप्त करने हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल के अनुसार पेंशन योजना की शर्तों को पूर्ण करते हैं, किन्तु योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, की सूची समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की वेबसाइट http://www.samagra.gov.in में समग्र पेंशन पोर्टल पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की मतदान प्रक्रिया पूर्ण

83.19 प्रतिशत हुआ मतदान

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की मतदान प्रक्रिया तीन चरण में पूरी हो चुकी है। तीनों चरण में मतदान का कुल प्रतिशत 83.19 था। इसमें से पुरुषों का मतदान प्रतिशत 83.01, महिलाओं का 82.634 और अन्य का 8.70 प्रतिशत था। जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पद के परिणाम भी घोषित किये जा चुके हैं। प्रथम चरण का मतदान 13 जनवरी, द्वितीय चरण का 5 फरवरी और तृतीय चरण का 22 फरवरी को संपन्न हुआ।

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 में 843 जिला पंचायत सदस्य, 6741 जनपद सदस्य और 22804 सरंपच के लिए निर्वाचन हुआ। इसके साथ ही 3 लाख 60 हजार 770 पंच के लिए भी निर्वाचन हुआ। इस चुनाव में 3 करोड़ 41 लाख 77 हजार 63 मतदाता थे, जोकि वर्ष 2009 के चुनाव से लगभग 62 लाख अधिक थे। इसमें से एक करोड़ 79 लाख 23 हजार 216 पुरुष, एक करोड़ 62 लाख 53 हजार 346 महिला और 501 अन्य मतदाता थे।

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं उप सरपंच का निर्वाचन - जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये 9 मार्च को प्रत्येक जिले में सम्मिलन होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जायेगा। इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

प्रथम चरण में जिन ग्राम पंचायतों में मतदान हो चुका है, वहाँ 13 फरवरी को उप सरपंच का निर्वाचन हो चुका है। इस चरण में 6100 ग्राम पंचायत में पंचों द्वारा उप सरपंच का चुनाव किया गया। द्वितीय चरण में जिन ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ है, वहाँ 3 मार्च को और जहाँ तृतीय चरण में मतदान हुआ है, वहाँ 11 मार्च को उप सरपंचों का निर्वाचन होगा।

2 लाख 27 हजार 441 पंच निर्विरोध निर्वाचित - पंचायत आम निर्वाचन में पंच पद के दो लाख 27 हजार 441 अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी तरह सरपंच पद के 526, जनपद पंचायत सदस्य के 97 और जिला पंचायत सदस्य के 5 अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

पंचायत निर्वाचन में आरक्षण - जिला पंचायत के 843 सदस्य में से अनुसूचित जाति के 134, अनुसूचित जनजाति के लिए 220, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 170, अनारक्षित 319 और विभिन्न प्रवर्ग में महिलाओं के लिए 433 पद आरक्षित थे। जनपद पंचायत के 6741

सदस्य में से 1034 अनुसूचित जाति, 1874 अनुसूचित जनजाति, 1303 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2530 अनारक्षित और विभिन्न प्रवर्ग में 3490 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसी तरह सरपंच के 22804 पद में 3534 अनुसूचित जाति, 6384 अनुसूचित जनजाति, 5701 अन्य पिछड़ा वर्ग, 7185 अनारक्षित और विभिन्न प्रवर्ग में 11800 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। पंच के 3 लाख 60 हजार 770 पद में 55996 अनुसूचित जाति, 102870 अनुसूचित जनजाति, 64794 अन्य पिछड़ा वर्ग, 137110 अनारक्षित और विभिन्न प्रवर्ग में 182386 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे।

प्रथम चरण में 39 जिला, 82 विकासखण्ड, 6100 ग्राम पंचायत, द्वितीय चरण में 43 जिला, 94 विकासखण्ड 6835 ग्राम पंचायत और तृतीय चरण में 50 जिला, 137 विकासखण्ड और 9921 ग्राम पंचायत में मतदान हुआ।

पंचायत निर्वाचन में पहली बार जिला और जनपद सदस्य के लिए मतदान में ईव्हीएम का उपयोग किया गया। नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी मतदाताओं को दिया गया। फोटो युक्त मतदाता सूची बनायी गयी, मतदाता पर्ची का वितरण किया गया, अभ्यर्थियों से शपथ-पत्र एवं अदेय प्रमाण-पत्र लिये गये। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सेंस (SENSE- Systematic Education, Nurturing and Sensitization of Electorate) के तहत अनेक कार्यक्रम किये गए। इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया। पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की गयी।

मानव संसाधन - पंचायत निर्वाचन में लगभग 5 लाख 54 हजार शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की सेवाएं ली गयीं। लगभग 70 हजार पुलिस कर्मी-होमगार्ड तथा लगभग 85 हजार विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गए।

आई.टी. का उपयोग - पंचायत निर्वाचन में आई.टी. का व्यापक उपयोग किया गया। आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in में हर जानकारी उपलब्ध करवायी गयी। जिला एवं जनपद सदस्य और सरपंच के शपथ-पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए गए। नाम निर्देशन-पत्रों की जानकारी, मतदान का प्रतिशत और मतगणना के परिणाम भी ऑनलाइन उपलब्ध थे।

अन्य राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों ने देखा पंचायत निर्वाचन -

गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉ. वरेश सिन्हा ने आयोग पहुँचकर पंचायत निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार, लक्षदीप, दादर-नगर हवेली और दमन-दीव की निर्वाचन आयुक्त कुमारी भूपेन्दर प्रसाद 22 फरवरी को इंदौर और धार जिले में पंचायत निर्वाचन के लिये हुए मतदान की प्रक्रिया को देखा। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग केरल के अतिरिक्त सचिव श्री के.वी. मुरलीधरन और संयुक्त सचिव श्री आर. राधाकृष्णा कुरूप 25 फरवरी को विकासखण्ड स्तर पर होने वाली जिला और जनपद पंचायत के अभ्यर्थियों की मतगणना की प्रक्रिया का अवलोकन किया। टीम मल्टीपोस्ट ईव्हीएम एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी ली।

● **ऋतु पाण्डेय**

तृतीय चरण में हुआ 73.44 प्रतिशत मतदान

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के तृतीय चरण में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 73.44 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें पुरुषों का मतदान 72.67 प्रतिशत, महिलाओं का 74.26 प्रतिशत और अन्य का 3.8 प्रतिशत है।

तृतीय चरण में जिला पंचायत सदस्य के 2 एवं जनपद पंचायत सदस्य के 36, सरपंच के 233 और पंच के 97 हजार 972 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जिला पंचायत सदस्य के 357, जनपद पंचायत सदस्य के 2822, सरपंच के 9380 और पंच के 41494 पदों के लिये मतदान हुआ। तृतीय चरण में जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य के 2-2, सरपंच के 18 और पंच के लिए 3264 नाम निर्देशन-पत्र खारिज हो गये। जनपद पंचायत सदस्य के 4, सरपंच के 43 और पंच पद के 11039 पदों के लिये कोई नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त नहीं हुए। तृतीय चरण के लिये जिला पंचायत के 361, जनपद पंचायत सदस्य के 2864, सरपंच के 9674 और पंच के एक लाख 53 हजार 749 पद के निर्वाचन के लिये अधिसूचना जारी की गई थी।

10 मतदान केंद्र में पुनर्मतदान - तृतीय चरण में कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण 7 और त्रुटिपूर्ण मत-पत्र के कारण 3 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान करवाने के आदेश दिये गये हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण भिण्ड जिले के विकासखंड गोहद के मतदान केंद्र 277, 278 और महगांव के मतदान केंद्र 154, 192, 289 तथा पन्ना जिले के पवई विकासखंड के मतदान केंद्र 122 और 123 में पुनर्मतदान हुआ। इसी तरह त्रुटिपूर्ण मत-पत्र के कारण जबलपुर जिले के शाहपुरा विकासखंड के मतदान केंद्र 14, 15 एवं 16 में पुनर्मतदान हुआ। सीहोर जिले के विकासखण्ड आष्टा के मतदान केंद्र 146 के मतदान अधिकारी क्रमांक एक अध्यापक श्री इलियास टोप्पो का आकस्मिक निधन हो गया है। मतदान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण 189 ई.व्ही.एम. बदली गयीं।

● राजेश पाण्डेय

त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का प्रथम सम्मिलन 11 से 26 मार्च तक

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के बाद मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मिलन की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक के लिये पद धारण करेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों के प्रथम सम्मिलन की तिथियाँ भी निर्धारित कर दी गई हैं। सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रथम सम्मिलन आयोजन के बारे में तिथियां निर्धारण की सूचना भेजी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतों, जहाँ उप सरपंच का निर्वाचन 13 फरवरी 2015 को संपन्न हुआ है, वहाँ ग्राम पंचायतों का प्रथम सम्मिलन 11 मार्च 2015 बुधवार को होगा। इसी तरह जहां उप सरपंच का निर्वाचन 11 मार्च 2015 को संपन्न होगा उन ग्राम पंचायतों का प्रथम सम्मिलन 24 मार्च 2015 को होगा। प्रदेश की सभी जनपद पंचायतों का प्रथम सम्मिलन 25 मार्च 2015 और जिला पंचायतों का प्रथम सम्मिलन 26 मार्च 2015 को किया जायेगा। प्रथम सम्मिलन के प्रारंभ में त्रि-स्तरीय पंचायतों के नव निर्वाचित पदाधिकारी सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे। पंचायत के वरिष्ठ सदस्य संकल्प-पत्र का वाचन करेंगे और सभी सदस्य सामूहिक संकल्प लेंगे।

अपने गाँव को आदर्श ग्राम बनाना है

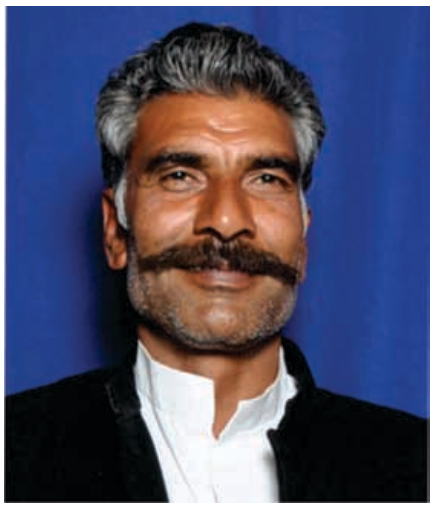

हाल ही में सम्पन्न हुए पंचम पंचायत निर्वाचन के तहत निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों में खासा उत्साह है। चुनाव लड़ने के पीछे उनके अपने सपने भी हैं और पूरा करने का विश्वास भी। ठीक इसी तरह अपने गाँव का विकास, पूर्व में छूटे कामों को आगे बढ़ाने का जज्बा लिए दिखाई दिए सीहोर जिले की इछावर जनपद के ग्राम सेमली जदीद के नव निर्वाचित सरपंच श्री जगदीश प्रसाद वर्मा। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए भूपेन्द्र नामदेव की उनसे हुई बातचीत के अंश।

आपका सरपंच बनने के पीछे क्या उद्देश्य था?

मैं पूर्व में भी 2001 से 2005 तक सरपंच चुना गया था। मुझे ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी और काम करने के अधिकार मालूम हैं। सरकार ने ग्रामीण विकास की सैकड़ों योजनाएँ बनाई हैं। यदि सरपंच चाहे तो अपने गाँव का काया पलट कर सकता है। पूर्व में मैंने कुछ काम शुरू किये थे उन्हें पूरा करना है। कुछ नया करने की इच्छा है। ताकि हमारे गाँव का विकास हो सके। बस यही सब सोचकर मैंने सरपंच बनना तय किया और गाँव वालों के सहयोग से मैं चुनकर भी आ गया।

पिछले कार्यकाल में हमने सेमली से शिकारपुर तक विधायक और सांसद निधि से रोड बनवाई थी। अब हमें सेमली से इमलीखेड़ा तक लगभग 5-7 किलोमीटर की सड़क बनवानी है। इससे हम सीहोर से पास के रोड से जुड़ जायेंगे। अभी लम्बे रास्ते से सीहोर 35 किलोमीटर दूरी पर है, रोड बन जाने से रास्ता 24 किलोमीटर ही रहेगा। दूसरा हमारे गाँव में पीने के पानी की समस्या है, हमें तीन किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पिछले कार्यकाल में हमने ग्राम सभा में गाँव में पीने के पानी की टंकी का प्रस्ताव रखा था। पाइप लाइन भी बिछा दी गयी थी। सांसद और विधायक निधि से बोर भी करवा दिया था पर पानी की टंकी नहीं बन पायी थी। अब इस कार्यकाल में मुझे सबसे पहले पानी की टंकी बनाना है।

क्या जल संरक्षण को लेकर आपकी कोई योजना है?

हमारे गाँव के पास से कोलार नदी और पटारा नदी निकलती है, मेरी उन पर कम से कम पाँच स्टाप डेम बनवाने की योजना है। और दूसरा गाँव में तालाब बनवाना है। ये काम हो गये तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्या योजना है?

अभी हमारे गाँव में 25 प्रतिशत शौचालय हैं, इसे सौ प्रतिशत में बदलना है। गाँव की साफ-सफाई करना है। कूड़ा करकट को एकत्र कर नाडेप भू नाडेप का काम शुरू करना है। हमारे गाँव को जैविक खेती करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

और कोई विशेष काम करने की योजना है?

गाँव में रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना। इसके लिए हम स्व-सहायता समूह का निर्माण करेंगे। ताकि महिलाएं अपना उद्योग खड़ा कर सकें। सरकार की योजना से किसान महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें काम में पारंगत करना है। गाँव में जरूरतमंद को पेंशन मिले। बच्चों को स्कूल भेजने और इसकी नियमितता की निगरानी की जिम्मेदारी पूरी करनी है। गाँव में एक आंगनवाड़ी और खुलवाने की योजना है। हाँ एक बात खास है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबके बैंक खाते खुलवाने हैं।

काम को लेकर आपकी और क्या अपेक्षाएँ हैं?

मुझे अपने आप से अपेक्षा है क्योंकि सरकार ने तो ग्रामीण विकास के लिए ढेरों योजनाएं बनाई हैं। हमें पूरे मन से इसके क्रियान्वयन में जुटना है। ताकि भविष्य में हमारा गाँव आदर्श ग्राम बन सके।

मेरे गांव में पंचायत चुनाव की कहानी

ग्राम पंचायत पथरिया और एक किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत सियलपुर। दोनों पंचायतें एक दूसरे में गुथी हैं। दोनों जिला विदिशा की सिरोंज तहसील का हिस्सा हैं। पथरिया दो गांवों की पंचायत है अगर उसके दूसरे गांव में जाना है तो सियलपुर में से निकलना होगा। बहरहाल दोनों गांव न बहुत खुशहाल कहे जा सकते हैं न बहुत ही बदहाल। सबका छोटा मोटा काम धंधा चलता है। कुछ लोग हाइवे निकलने से कुछ खास अवसर पा गए हैं। बीना रिफाइनरी के लिए निकले नेशनल हाईवे ने पथरिया को एक अलग ही चमक दी है। सड़क पर ही साप्ताहिक हाट भरती है।

जब मैं गांव पहुंचा तो वहां पंचायत चुनावों की चर्चा शुरू हो चुकी थी। किसको जिताना है किसको हराना है। कौन सही है कौन काम नहीं करता... सारे प्रश्नों पर विचार विमर्श चल रहा था। गांव में मुझे एक संस्था की ओर से लायब्रेरी और एक कंप्यूटर सेंटर खोलना था।

यहां आकर पता चला कि जिस आदर्श स्थितियों की आवश्यकता होती है वहां नहीं मिल सकतीं। मतलब आपको चौबीस घंटे लाइट नहीं मिल सकती। बिजली का कनेक्शन दो हजार किलोवाट का नहीं हो सकता। पार्किंग सहित कोई स्थान नहीं मिल रहा था।

मेरी जिज्ञासा भी गांव वालों की बातों में होने लगी। हर आदमी स्थानीय स्तर पर चुनाव विश्लेषक की हैसियत से था। मीठी चाय तो वहां सहज ही उपलब्ध थी। चाय की होटल में बैठने की पूरी जगह। कई बार तो ऐसा लगता था कि अगर किसी टीवी का कैमरा यहां आकर रिकार्ड करे तो ये गांव वाले गजब का विश्लेषण करते हुए मिल जाएंगे।

एक दिन की इस यात्रा में यह पता नहीं चल सका वे स्पष्ट रूप से किस पक्ष को जिताना चाहते हैं। जब मैंने भैयालाल से पूछा तो उसने कहा कोई भी जीत जाए बस गांव की सेवा तो उसे करना चाहिए। हमें किसी सरपंच से निजी तौर पर तो कुछ चाहिए नहीं। भ्रष्टाचार न हो। गंदगी कीचड़ आदि से मुक्त गांव बन जाए तो ही बड़ी बात है। अभी जीतने की बात करना तो जल्दी होगी। मुझे पांच चुनावों का अनुभव है और अब ये सीख लिया है मैंने कि कोई कुछ कहे ये तो बताना ही नहीं है कि हम किसे वोट दे रहे हैं। अगर हमारी पार्टी (पक्ष) में कोई चुनाव लड़ेगा तो उसे ही मिलेगा लेकिन ऐसे तो नहीं बता सकते...।

एक दिन की इस यात्रा में यह पता नहीं चल सका वे स्पष्ट रूप से किस पक्ष को जिताना चाहते हैं। जब मैंने भैयालाल से पूछा तो उसने कहा कोई भी जीत जाए बस गांव की सेवा तो उसे करना चाहिए। हमें किसी सरपंच से निजी तौर पर तो कुछ चाहिए नहीं। भ्रष्टाचार न हो। गंदगी कीचड़ आदि से मुक्त गांव बन जाए तो ही बड़ी बात है।

इससे पता चलता है कि गांव के एक सामान्य तरीके में लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसके अपने अनुभवों के माध्यम से शामिल हो गई है।

भैयालाल का बेटा चाय की होटल चलाता है और वे उसकी मदद करते हैं। यह होटल अब सियलपुर और पथरिया गांव के पटेल की दालान की जगह ले चुकी है। यहां लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी आकर बैठ सकता है और चर्चा में अपने विचार दे सकता है। ऐसे ही जब बात चल रही थी तो अचानक कोमल कुशवाह और कल्ला खां आकर बैठते हैं। दो मिनट तक वे चर्चा को समझने में लगे रहे फिर अचानक ऊंची आवाज में कल्ला बोला- अरे काम कर लो राजनीति तुमे खाने नहीं देगी। यहां बैठे-बैठे चाय सुड़कते हो और भ्रष्टाचार की जमावट करते हो। किसने कितना खा लिया? किसको ठेका देना है किसको पैसे दिलाना हैं किसको कुटीर तो किसको लोन। किसका अतिक्रमण हटवाना है तो किसका खेत नपवाना है, के अलावा तुम लोगों को कुछ काम नहीं है।

अचानक एक तेज आवाज आई- बहुत बोल रहा है तुझे सरपंच बनवा दें।

कल्ला एक दम चुप। फिर अचानक बोला अपन को नहीं बनना सरंपच। जो भ्रष्टाचार करे वही सरपंच बने।

इससे पहले के सरपंच की बात भी होने लगी। आचार संहिता से पहले तक तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद वे आज बता रहे थे कि सरपंच कितने तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

इन दो संवादों में तीन बातें स्पष्ट हैं।

- राजनीतिक सजगता
- भ्रष्टाचार
- लोकतांत्रिक परिपक्वता

इस पूरे संवाद में गांवों की राजनीतिक सजगता लंबे अनुभव से हासिल की गई है। लोकतांत्रिक परिपक्वता इस बात की कि आज वे पक्ष विपक्ष और विरोध प्रतिरोध को समान भाव से लेते हैं। उस गांव के लोगों में विरोध सहने अथवा किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कोई झिझक नहीं मिली। इस

आधार नम्बर की जानकारी वोटर आई.डी. से जुड़ना शुरू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सहज पंजीकरण सहज संशोधन अभियान के अंतर्गत निर्वाचक नामावली शुद्ध करने के लिये मुहिम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आधार नम्बर भी वोटर लिस्ट के डाटाबेस से लिंक करने की कार्यवाही शुरू हो गई है ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपील की गई है कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में अपना आधार नम्बर वोटर डाटा से लिंक करायें। इसके लिये निर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा आधार लिंक किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे निर्वाचकों (मतदाताओं) जिनके आधार नम्बर हैं। वह सभी निर्वाचक अपने आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं वोटर कार्ड नम्बर (इपिक नम्बर) की जानकारी निवास से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को अनिवार्यतः प्रदाय करें।

मतदाता सहायता केन्द्र पर पहुँचकर भी मतदाता अपने आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं वोटर कार्ड नम्बर (इपिक नम्बर) की जानकारी प्रदाय की जा सकती है। आधार नम्बर को लिंक किए जाने की सुविधा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध एप्लीकेशन link youradhaarcard number in E&ROLL पर निर्वाचक स्वयं भी अपना इपिक नम्बर (वोटरकार्ड नम्बर) अंकित करते हुए आधार नम्बर की प्रविष्टि कर सकते हैं।

संदर्भ में स्वराज अभियान के रिसर्च में जो बातें सामने आई थीं वे यहां भी पूर्णरूप से सच हैं। मैं उनको कुछ संशोधन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। सच यह है कि हम अपने अनुभव से ही सब कुछ सीखते हैं और उसी से विकास करते हैं, सुधार करते हैं।

सरपंच के काम करने और गांव में स्वीकार्यता से ही बड़े काम होते हैं।

ऐसा नहीं है कि देश के गांवों में ईमानदार लोग सरपंच नहीं चुने जाते हैं। अनुभवों से यह देखा गया है कि सिर्फ वही ईमानदार सरपंच अफसरों की मनमानी पर अंकुश लगा पाए हैं जो वास्तव में अपने सारे फैसले ग्राम सभा में लेते हैं। हालांकि ऐसे सरपंचों की संख्या बेहद सीमित है, लेकिन इनके उदाहरण यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि पंचायती राज को सफल बनाने के लिए उसमें ग्राम सभाओं को किस तरह की कानूनी ताकत चाहिए।

लोकराज आंदोलन (स्वराज अभियान) द्वारा समाज, सरकार और कानून के जानकारों के साथ गहन विमर्श के बाद पंचायती राज कानूनों में आवश्यक संशोधन के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। इसमें ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए यथासंभव मजबूत कानून की अवधारणा स्पष्ट की गई है-

1. वे सभी कार्य जो गांव में किए जाने हैं और जिसका अंतर्संबंध किसी अन्य ग्राम से नहीं है, गांव के स्तर पर ही किए जाएं। (ग्राम पंचायत) वे कार्य जो गांव के स्तर पर नहीं किए जा सकते और जिनका संबन्ध ऐसे काम जो इस स्तर पर नहीं हो सकता और जिनका संबंध अन्य गांवों से भी है, उन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जाए। (ब्लॉक पंचायत) और जो काम ब्लाक स्तर पर नहीं किए जा सकते और जिनका संबंध एक से अधिक ब्लाक से हो, उन्हें जिला स्तर पर किया जाए (जिला पंचायत)। और जो कार्य जिला स्तर पर नहीं हो सकते उन्हें राज्य स्तर पर किया जाए (राज्य सरकार) शासन के हरेक स्तर के लिए ऐसे कार्य की एक सूची बना ली जाए। साथ ही किसी कार्य से सम्बंधित सभी कर्मचारी और धनराशि सम्बंधित स्तर की शासन इकाई के अधीन होगी।

2. इसी तरह, सड़क, गलियां, जन शौचालय इत्यादि जो पूरी तरह किसी एक गांव की सीमा के भीतर हों, उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी ग्राम स्तर पर दी जाए। ऐसी संपत्ति जिसका संबंध एक से ज्यादा गांव से हो, उसकी जिम्मेवारी ब्लॉक को दी जाए। और अगर ऐसी संपत्ति एक से ज्यादा ब्लॉक से सम्बंधित हो तो उसकी जिम्मेदारी जिला स्तर पर दी जाए तथा एक से अधिक जिलों से

सम्बंधित होने की स्थिति में उसके रखरखाव आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाए। शासन के हरेक स्तर के लिए ऐसी तमाम तरह की संपत्तियों की एक सूची बना ली जाए और इससे सम्बंधित सभी कर्मचारियों, संपत्ति और फंड को सम्बंधित स्तर को सौंप दिया जाए।

3. सभी संस्थाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, दवाखाना इत्यादि जो किसी एक गांव के निवासियों के लिए है उसे केवल उस गांव के द्वारा ही चलाया जाए। एक से ज्यादा गांव से सम्बंधित संस्थाओं को ब्लॉक चलाए और एक से ज्यादा ब्लॉक से सम्बंधित संस्थाओं को जिला और एक से ज्यादा जिलों से सम्बंधित संस्थाओं को राज्य द्वारा चलाया जाए। शासन के हरेक स्तर के लिए ऐसी संस्थाओं की एक सूची बना ली जाए और इससे सम्बंधित सभी कर्मचारियों, संपत्ति और फंड को सम्बंधित स्तर को सौंप दिया जाए।

4. राज्य के राजस्व का कम से 50 प्रतिशत हिस्सा, एकमुश्त राशि के रूप में तथा किसी योजना विशेष से संबद्ध किए बगैर ही, सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जाए। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर की व्यवस्था से सम्बंधित राज्य सरकार की योजनाएं खत्म कर दी जाएं तथा पंचायतों के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाए।

5. ग्राम स्तर पर सभी निर्णय ग्राम सभा द्वारा ही लिए जाएंगे। ग्राम सभा द्वारा लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम सचिव ही होगी। ग्राम सचिव की नियुक्ति, ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा के निर्णय अंतिम माने जाएंगे, यदि उस निर्णय में कोई तकनीकी त्रुटि न हो या उससे किसी कानून का उल्लंघन न होता हो।

6. ग्राम सभा की बैठक, महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी। बैठक का एजेंडा सचिव द्वारा तय किया जाएगा और बैठक से एक सप्ताह पहले ग्राम सभा के सभी लोगों के बीच इसे वितरित किया जाएगा। ग्राम सभा के सदस्य यदि किसी मुद्दे को एजेंडे में डलवाना चाहें तो बैठक से दस दिन पहले लिखित या मौखिक तौर पर सचिव को दे सकता है। प्रत्येक बैठक की शुरुआत में आपसी सहमति से यह तय किया जाएगा कि मुद्दों पर विचार विमर्श एवं चर्चा का क्रम क्या होगा।

7. सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण इस व्यवस्था में दो तरह के कर्मचारी होंगे।

(क) वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अलग-अलग स्तर के शासन, यथा ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत आदि द्वारा ही सीधे की गई हो।

(ख) वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी (लेकिन नई व्यवस्था के तहत) उन्हें ग्राम, ब्लॉक या जिला शासन व्यवस्था के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया है। गांव, ब्लॉक या जिला शासन व्यवस्था के अधीन ऐसे कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में उसकी जगह नई नियुक्ति सम्बंधित शासन व्यवस्था के द्वारा की जाएगी।

ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जाएगा-

ग्राम सभा, गांव, ब्लॉक या जिला स्तर के किसी भी कर्मचारी के कामकाज से असंतुष्ट होने पर, उसे सम्मन जारी कर सकती है तथा निम्न कदम उठा सकती है-

(क) कर्मचारी को सम्मन जारी कर ग्राम सभा की बैठक में बुलाना तथा उससे स्पष्टीकरण मांगना।

(ख) उपरोक्त स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने की स्थिति में ग्राम सचिव के माध्यम से सम्बंधित कर्मचारी को निर्देश लिखित चेतावनी जारी करना। यह चेतावनी उस कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में शामिल की जाएगी।

(ग) किसी कर्मचारी का कामकाज संतुष्टिजनक न होने की स्थिति में, उस कर्मचारी के कार्य व्यवहार में सुधार आने की स्थिति तक, ग्राम सभा उस कर्मचारी का वेतन रोकने का फैसला ले सकती है। यदि कर्मचारी का वेतन ब्लॉक या जिला स्तर की पंचायत द्वारा दिया जाता है तो, ग्राम सभा सम्बंधित संस्था को इसका निर्देश दे सकती है।

(घ) यदि कर्मचारी का व्यवहार खराब रहता है तो ग्राम सभा, उसे समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए, उस पर आर्थिक जुर्माना लगाने का निर्णय ले सकती है।

8. यदि ग्राम सभा के पास किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी पहुंचती है या किसी अन्य कारण से, ग्राम सभा चाहे तो किसी मामले में जांच करा सकती है। ग्राम सभा चाहे तो इस जांच के लिए अपनी कोई समिति बना सकती है अथवा, किसी सक्षम अधिकारी को जांच के लिए कह सकती है जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट ग्राम सभा को सौंपेगा। ग्राम सभा इस

रिपोर्ट को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या खारिज कर सकती है या उस पर यथोचित कदम उठा सकती है।

9. राज्य सरकार ग्राम सभा को कार्यालय चलाने के लिए अलग से पैसा उपलब्ध कराएगी।

10. ग्राम सभा के कार्य -

(क) वार्षिक योजना- राज्य सरकार के बजट में प्रत्येक ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पंचायत को, राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार, धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम सभा अपने गांव के लिए वार्षिक योजना बनाएगी। ब्लॉक और जिला स्तर, उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं के सुझावों के अनुरूप योजनाएं बनाई जाएंगी। योजनाएं बनाने में प्राथमिकता तय करने का कार्य आपसी सहमति के आधार और सहमति नहीं बनने के हालत में मतदान के जरिए किया जाएगा।

(ख) ग्राम में होने वाले किसी भी काम के लिए भुगतान ग्राम सभा की संतुष्टि बिना नहीं किया जाएगा। यदि ग्राम सभा किसी परियोजना या कार्य से असंतुष्ट हो तो वह भुगतान रोक सकती है, साथ ही खराब कार्य किए जाने का कारण जानने के लिए जांच करा सकती है और इसके लिए जवाबदेही तय कर सकती है।

(ग) ग्राम सभा ये सुनिश्चित करेगी कि गांव में कोई भूखा न रहे, हरेक बच्चा स्कूल जाए और सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। इन कार्यों से सम्बंधित योजनाओं और खर्च को ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर के बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। इन कार्यों के लिए ग्राम सभा, केवल राज्य सरकार के बजट पर ही निर्भर नहीं रहेगी। एक समाज के तौर पर यह गांव की जिम्मेदारी होगी कि कोई भूखे पेट न सोए, सबके पास एक घर हो, हरेक बच्चा स्कूल जाता हो। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा इसके लिए अनुदान भी इकट्ठा कर सकती है।

(घ) सभी को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा सभी कदम उठाएगी। पंचायत कार्यों के लिए भुगतान की जाने वाली मजदूरी भी ग्राम सभा ही तय करेगी। हालांकि यह राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कम नहीं होगी। ग्राम सभा लोगों को कोई छोटा धंधा शुरू करने के लिए लोन भी दे सकती है या सहकारिता के आधार पर कोई छोटा उद्योग शुरू करने का फैसला ले सकती है या रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अन्य कोई कदम उठा सकती है।

(च) ऐसे कर जो ग्राम स्तर पर आसानी से वसूले जा सकते हैं उन्हें ग्राम स्तर पर ही वसूला जाएगा, इसी प्रकार ब्लॉक और जिला स्तर पर आसानी से इकट्ठा किए जा सकने वाले करों की वसूली भी ब्लॉक एवं जिला पंचायतों द्वारा की जाएगी। कुछ कर राज्य सरकार लगाएगी लेकिन उसकी वसूली पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर की जाएगी। वहीं, कुछ कर राज्य सरकार द्वारा ही लगाए एवं वसूले जाएंगे। कुछ कर ग्राम, ब्लॉक या जिला स्तर की पंचायतों द्वारा भी लगाए और वसूले जा सकते हैं। ऐसे करों की एक सूची बना कर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(छ) कृषि उत्पाद मार्केटिंग व्यवस्था और इससे प्राप्त राजस्व पर सीधे ग्राम सभा का ही नियंत्रण होगा।

(ज) ग्राम सभा केवल निर्णय लेगी। उसके क्रियान्वयन या निगरानी सीधे उससे लाभान्वित समूह करेगा। ऐसे लोगों की सभाएं लाभान्वितों की सभा कहलाएगी और किसी भी मामले में लाभान्वित सभा के निर्णय भी ग्राम सभा की ही तरह मान्यता प्राप्त एवं अधिकृत होंगे।

(झ) राशन दुकान और केरोसिन डिपो का लाइसेंस निरस्त करने और नया लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी उस मामले की लाभान्वित सभा के पास रहेगा।

(ट) जरूरत के हिसाब से ग्राम सभा, ब्लॉक या जिला पंचायतें अपने-अपने स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों जैसे शिक्षक इत्यादि की नियुक्ति कर सकती हैं एवं नियुक्ति के लिए समुचित नियम शर्तों का निर्धारण भी कर सकेंगी।

(ठ) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में आखिरी एक घंटे का समय लोगों की व्यक्तिगत शिकायतों को सुनने, उन पर चर्चा करने और उनके समाधान के प्रयास करने के लिए निर्धारित रहेगा।

(ड) ग्राम सभा की 90 प्रतिशत महिला सदस्यों की सहमति के बिना शराब दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ग्राम सभा क्षेत्र में चल रही किसी शराब दुकान का लाइसेंस उस ग्राम सभा की महिला सदस्यों के साधारण बहुमत से भी निरस्त किया जा सकेगा।

(ढ़) ग्राम सभा के अधीन भूमि क्षेत्र में किसी औद्योगिक या खनन इकाई लगाने से पहले सम्बंधित ग्राम सभा की अनुमति लेना जजरूरी होगा। अनुमति देते हुए ग्राम सभा

शर्तें भी लगा सकती है। किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर ग्राम सभा को अनुमति निरस्त करने का अधिकार होगा।

12. वापस बुलाने का अधिकार- यदि किसी ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्य, लिखित रूप से, राज्य निर्वाचन आयोग को अपने गांव के सरपंच के प्रति अविश्वास का नोटिस देते हैं तो आयोग उस नोटिस की सत्यता की जांच कराएगा तथा सत्य पाए जाने पर, नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के अंदर, गुप्त मतदान कराएगा कि क्या ग्राम सभा के लोग सरपंच को हटाना चाहते हैं।

13. रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता- गांव, ब्लॉक या जिला पंचायत के सभी आंकड़े सार्वजनिक होंगे। प्रत्येक सप्ताह दो निर्धारित दिवसों पर, निश्चित समय पर कोई भी व्यक्ति बिना आवेदन दिए इन रिकॉर्ड्स को देख सकता है। यदि कोई रिकॉर्ड की कॉपी चाहता है तो वह निरीक्षण के बाद इसके लिए एक आवेदन दे सकता है। आवेदन देने के एक सप्ताह के भीतर साधारण फोटोकॉपी शुल्क लेकर वह रिकार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा।

14. जिला स्तर पर लोकपाल का गठन - हरेक जिले में एक लोकपाल होगा जो पंचायती राज कानून से सम्बंधित विवाद और समस्याओं का निपटारा करेगा, साथ ही पंचायती राज कानून के प्रावधानों का लागू होना सुनिश्चित कराएगा। इसके पास पर्याप्त अधिकार होंगे ताकि अपने आदेशों को लागू करवा सके। साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ सम्मन जारी कर सके। ओंबड्समैन का चुनाव पूर्णतः पारदर्शिता और सहभागिता की प्रक्रिया से होगा। इसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। सभी आवेदनों पर जनता की राय जानने के लिए इसे वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसके बाद जनसुनवाई में सभी आवेदक जनता के सवालों का जवाब देंगे। पंचायत सशक्तीकरण एवं सुगमतापूर्ण प्रशासन के लिए 'स्वराज अभियान' ने वरिष्ठ नागरिकों एवं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से उक्त शोध निष्कर्षों को तैयार किया है। जिसके यहां कुछ अंश लिए गए हैं।

● **रविन्द्र स्वप्निल**

पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी

पथरिया और सियलपुर पंचायतों में यह शब्दावली प्रयोग की गई थी कि अब पंचायत महिला सीट नहीं रही।

स्थानीय निकायों के चुनाव में पुरुष सीट का इस्तेमाल बातचीत में करते हैं। इसका हवाला देकर कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। पिछले पंचायत चुनाव में कई महिलाएं सरपंच का चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाईं कि उन्हें बताया गया था कि उनकी पंचायत की सरपंच की सीट अब पुरुष सीट हो गई है। यानी वह महिला के लिए आरक्षित नहीं है, इसलिए उस पर सिर्फ पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि चुनाव कोई भी लड़ सकता है। यहां आरक्षण का मतलब एक फिक्स लाइन जैसी मानसिकता से जोड़ा जा रहा है।

दरअसल, पंचायती राज की स्थापना के साथ ही देश में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं और गरीब-वंचित तबकों को गांव की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि के पद पर काबिज महिलाओं को अक्षम ठहराने की लगातार कोशिशें हुई हैं और प्रचारित किया गया कि उनकी जगह परिवार के पुरुष सदस्य पंचायत चलाते हैं। लेकिन पिछले बीस सालों में कई महिला सरंपचों ने पंचायत की कमान अपने हाथों में लेकर उन जटिल समस्याओं को हल करने में सफलता पाई, जो पूर्ववर्ती पुरुष सरपंच के लिए संभव नहीं था। कई महिला सरपंचों को गांव के दबंगों से संघर्ष करना पड़ा। इस तरह, इन महिलाओं ने एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत की, जिसका असर गांव के विकास पर तो पड़ा ही, महिलाओं की राजनीति में प्रभावी भागीदारी भी दिखने लगी। यह सब पंचायत में महिलाओं के आरक्षण से संभव हो पाया।

● **बुद्ध कुमार नामा**

पंच परमेश्वर योजना

किसी भी गाँव के विकास के लिए आवश्यक है कि उस गाँव में जरूरी अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जाये। पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के बाद से ही ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण को लेकर विभिन्न मदों से अलग-अलग समय में पंचायतों को राशि प्रदान की जाती थी। इस तरह एकजाई राशि न होने के कारण इसके उपयोग में असुविधा होती थी। इससे स्थाई और परिणाममूलक परिसंपत्तियों का निर्माण भी संभव नहीं था।

मध्यप्रदेश में ग्राम विकास की अवधारणा को प्रभावी करते हुए ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली समस्त राशियों को एकीकृत कर पंच परमेश्वर योजना बनाई गई। इस योजना में आयोजना मद की विभिन्न अनुदान योजनाओं, तेरहवाँ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्क तथा गौण खनिज अंतर्गत प्राप्त राशियों को समेकित किया गया।

इस तरह मध्यप्रदेश में ग्रामीण अंचलों में आधारभूत सुविधाओं और अधोसंरचना निर्माण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गाँवों की आंतरिक अधोसंरचना सुधारने के लिए 2011-12 में पंच परमेश्वर योजना लागू की गयी। इस योजना में ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के मान से राशि दी जाती है। जिसमें 2000 जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को रुपये 5 लाख तक, 2001 से 5000 तक जनसंख्या की ग्राम पंचायत को रुपये 8 लाख तक, 5001 से 10000 तक जनसंख्या की ग्राम पंचायत को रुपये 10 लाख तक तथा 10001 से ऊपर जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को रुपये 15 लाख राशि दी जाती है। यह राशि ग्राम पंचायतों को सीधे बैंक खातों में अंतरित की जाती है। इस बहुउद्देश्यीय योजना से अधोसंरचना निर्माण आसान हो गया है तथा सकारात्मक परिणाम निकल कर आये हैं।

ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण

जनसंख्यावार ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण	बजट की राशि
2000 तक की ग्राम पंचायत	5 लाख तक
2001 से 5000 तक की ग्राम पंचायत	8 लाख तक
5001 से 10000 तक की ग्राम पंचायत	10 लाख तक
10001 से ऊपर की ग्राम पंचायत	15 लाख तक

आधारभूत विकास पर अमल

पंच परमेश्वर योजना

योजना के प्रमुख कार्य

- ग्राम के भीतर पक्की नाली सहित आंतरिक रोड निर्माण।
- पूर्व में स्वीकृत आंगनवाड़ी के भवनविहीन ग्रामों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण।
- पुराने ग्राम पंचायत भवनों में ई-पंचायत कार्य हेतु 200 वर्गफीट का नक्शे अनुसार ई-पंचायत कक्ष का निर्माण।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत उपयोग परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं सफाई पर व्यय कर सकेगी।

योजना प्रारंभ से लेकर अब तक प्राप्त परिणामों पर हम नजर डालें तो प्रदेश के 50 जिलों की सभी 23006 ग्राम पंचायतों में आवंटित राशि 4101.17 करोड़ में से 3725.12 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। कुल प्रदाय राशि के विरुद्ध 90.83 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है तथा मात्र 9.17 प्रतिशत राशि शेष है। योजनांतर्गत 106255 स्वीकृत कार्यों में से 76907 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 24673 कार्य प्रगति पर हैं। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9268.64 किलोमीटर सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण किया गया। योजना लागू होने से अब तक गुणवत्तापूर्ण नाली सहित पक्की सड़कों का निर्माण हुआ इससे गाँवों को कीचड़ से मुक्ति मिली और प्रदेश के गाँव स्वच्छ गाँव बनने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। प्रदेश की इस पहल को देखने के लिए महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश तथा अन्य राज्यों के प्रतिनिधि आये और उन्होंने इसे अपने प्रदेशों में लागू करने में भी रुचि दिखाई है। इस तरह पंच परमेश्वर योजना ग्राम विकास का आधार साबित हुई है।

● प्रियंका पाठक

भौतिक प्रगति

जिलों को योजना प्रारंभ से अब तक दी गई राशि (करोड़ में)	4101.17
कुल व्यय (रु. करोड़)	3725.12
स्वीकृत कार्य संख्या	106255
प्रगतिरत कार्य संख्या	24673
पूर्ण कार्य संख्या	76907
पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई (कि.मी.)	9268.64

पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत व्यय एवं शेष राशि का ब्यौरा

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिनकी शेष की जानकारी प्राप्त की गई	योजना प्रारंभ से अब तक जारी आवंटन (रु. करोड़)	शेष राशि (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	व्यय राशि प्रतिशत	शेष राशि प्रतिशत	स्वीकृत कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	धार	761	736	138.93	11.86	127.07	91.46	8.53	3258	888	2150	307.54
2	श्योपुर	225	154	32.15	2.45	29.7	92.38	7.61	1342	314	1003	114.73
3	खण्डवा	422	401	75.44	5.14	70.3	93.19	6.81	2158	445	1626	155.78
4	खरगौन	596	595	118.33	5.61	112.72	95.26	4.74	7593	1694	5899	203.43
5	झाबुआ	376	326	62.44	4.34	58.1	93.05	6.94	1129	109	1020	204.00
6	इन्दौर	335	335	67.6	3.52	64.08	94.79	5.21	1475	284	1191	229.60
7	बालाघाट	692	567	104.54	10.26	94.28	90.19	9.81	2863	372	2474	61.01
8	बड़वानी	416	416	85.69	10.9	74.79	87.28	12.72	1017	349	608	87.30
9	बुरहानपुर	167	167	34.19	0.9	33.29	97.37	2.64	844	151	693	67.48
10	बैतूल	556	528	105.21	8.77	96.44	91.66	8.34	2445	452	1836	201.27
11	कटनी	407	406	80.27	4.93	75.34	93.86	6.14	1731	334	1376	192.08
12	मंडला	486	412	72.92	11.19	61.73	84.65	15.35	1327	232	1095	111.00
13	मंदसौर	440	440	85.79	3.94	81.85	95.41	4.59	3303	601	2554	252.00
14	मुरैना	490	359	79.79	8.12	71.67	89.82	10.17	1921	465	1254	295.15
15	भिण्ड	447	447	93.97	11.02	82.95	88.27	11.72	1096	420	676	98.20
16	शिवपुरी	604	604	112.09	6.46	105.63	94.24	5.77	2007	562	1307	145.44
17	सिंगरौली	316	316	67.51	6.24	61.27	90.76	9.25	1398	434	964	221.13
18	सिवनी	645	519	89.78	10.31	79.47	88.52	11.49	2928	143	2452	262.56
19	डिण्डौरी	364	364	61.74	4.13	57.61	93.31	6.68	1492	345	1108	100.10
20	छिन्दवाड़ा	803	801	145.77	14.2	131.57	90.26	9.74	2186	119	2067	221.63
21	विदिशा	580	580	98.66	6.76	91.9	93.15	6.85	3050	803	2230	268.46

22	हरदा	211	119	21.3	2.4	18.9	88.73	11.27	875	304	559	59.11
23	होशंगाबाद	428	425	74.7	12.43	62.27	83.36	16.64	2108	514	1549	130.84
24	भोपाल	195	195	35.15	2.68	32.47	92.38	7.62	738	175	560	98.05
25	पन्ना	395	395	73.19	6.73	66.46	90.80	9.19	1657	431	1211	195.83
26	रीवा	827	827	154.42	20.88	133.54	86.48	13.52	2504	655	1206	18.95
27	रायसेन	498	431	78.25	7.43	70.82	90.50	9.49	2534	439	1720	206.19
28	राजगढ़	627	627	106.44	13.45	92.99	87.36	12.64	2936	1118	1517	207.37
29	रतलाम	418	418	81.39	5.22	76.17	93.59	6.42	2118	542	1576	256.21
30	शहडोल	391	390	72.15	8.91	63.24	87.65	12.34	1167	210	957	159.25
31	शाजापुर	554	553	99.65	6.71	92.94	93.27	6.74	2713	1365	1348	193.58
32	सीधी	400	339	67.22	5.36	61.86	92.03	7.98	1060	401	659	105.60
33	सीहोर	497	497	86.93	7.22	79.71	91.69	8.30	2074	488	1536	287.12
34	सागर	760	750	137.57	12.46	125.11	90.94	9.05	3258	789	2227	274.65
35	सतना	704	704	136.84	20.45	116.39	85.06	14.95	2893	740	2153	252.71
36	उमरिया	234	234	44.58	4.91	39.67	88.99	11.01	1429	620	741	135.80
37	उज्जैन	609	609	104.19	5.4	98.79	94.82	5.18	3126	484	2145	219.47
38	दमोह	461	461	85.57	4.04	81.53	95.28	4.73	1822	251	1571	116.30
39	दतिया	290	290	51.69	2.48	49.21	95.20	4.80	1229	257	972	289.50
40	छतरपुर	558	558	107.97	13.21	94.76	87.77	12.23	2825	606	1904	217.60
41	देवास	497	497	91.46	4.72	86.74	94.84	5.16	2966	871	2092	206.21
42	जबलपुर	542	466	80.96	6.03	74.93	92.55	7.45	3469	391	2936	378.54
43	नीमच	239	239	47.44	1.93	45.51	95.93	4.07	1451	746	549	76.56
44	नरसिंहपुर	455	451	78.57	8.32	70.25	89.41	10.59	2787	446	2213	219.62
45	अलिराजपुर	288	250	47.88	7.38	40.5	84.59	15.42	1357	403	954	246.50
46	टीकमगढ़	459	459	89.76	8.53	81.23	90.50	9.51	2527	511	1969	317.47
47	अशोकनगर	335	335	60.54	9.73	50.81	83.93	16.07	725	424	297	41.10
48	अनूपपुर	282	282	54.16	6.68	47.48	87.67	12.33	1551	239	1276	124.07
49	ग्वालियर	299	297	59.19	5.76	53.43	90.27	9.73	1018	300	618	121.83
50	गुना	425	344	59.2	3.55	55.65	94.00	5.99	2775	437	2309	312.72
	कुल	**23006**	**21915**	**4101.17**	**376.05**	**3725.12**	**90.83**	**9.17**	**106255**	**24673**	**76907**	**9268.64**

जिलेवार पंच-परमेश्वर योजना की प्रगति
व्यय राशि के आधार पर घटते क्रम में

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिनकी शेष की जानकारी प्राप्त की गई	योजना प्रारंभ से अब तक जारी आवंटन (रु. करोड़)	शेष राशि (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	व्यय राशि प्रतिशत	शेष राशि प्रतिशत	स्वीकृत कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	बुरहानपुर	167	167	34.19	0.9	33.29	97.37	2.64	844	151	693	67.48
2	नीमच	239	239	47.44	1.93	45.51	95.93	4.07	1451	746	549	76.56
3	मंदसौर	440	440	85.79	3.94	81.85	95.41	4.59	3303	601	2554	252.00
4	दमोह	461	461	85.57	4.04	81.53	95.28	4.73	1822	251	1571	116.30
5	खरगौन	596	595	118.33	5.61	112.72	95.26	4.74	7593	1694	5899	203.43
6	दतिया	290	290	51.69	2.48	49.21	95.20	4.80	1229	257	972	289.50
7	देवास	497	497	91.46	4.72	86.74	94.84	5.16	2966	871	2092	206.21
8	उज्जैन	609	609	104.19	5.4	98.79	94.82	5.18	3126	484	2145	219.47
9	इन्दौर	335	335	67.6	3.52	64.08	94.79	5.21	1475	284	1191	229.60
10	शिवपुरी	604	604	112.09	6.46	105.63	94.24	5.77	2007	562	1307	145.44
11	गुना	425	344	59.2	3.55	55.65	94.00	5.99	2775	437	2309	312.72
12	कटनी	407	406	80.27	4.93	75.34	93.86	6.14	1731	334	1376	192.08
13	रतलाम	418	418	81.39	5.22	76.17	93.59	6.42	2118	542	1576	256.21
14	डिण्डौरी	364	364	61.74	4.13	57.61	93.31	6.68	1492	345	1108	100.10
15	शाजापुर	554	553	99.65	6.71	92.94	93.27	6.74	2713	1365	1348	193.58
16	खण्डवा	422	401	75.44	5.14	70.3	93.19	6.81	2158	445	1626	155.78
17	विदिशा	580	580	98.66	6.76	91.9	93.15	6.85	3050	803	2230	268.46
18	झाबुआ	376	326	62.44	4.34	58.1	93.05	6.94	1129	109	1020	204.00
19	जबलपुर	542	466	80.96	6.03	74.93	92.55	7.45	3469	391	2936	378.54

20	श्योपुर	225	154	32.15	2.45	29.7	92.38	7.61	1342	314	1003	114.73
21	भोपाल	195	195	35.15	2.68	32.47	92.38	7.62	738	175	560	98.05
22	सीधी	400	339	67.22	5.36	61.86	92.03	7.98	1060	401	659	105.60
23	सीहोर	497	497	86.93	7.22	79.71	91.69	8.30	2074	488	1536	287.12
24	बैतूल	556	528	105.21	8.77	96.44	91.66	8.34	2445	452	1836	201.27
25	धार	761	736	138.93	11.86	127.07	91.46	8.53	3258	888	2150	307.54
26	सागर	760	750	137.57	12.46	125.11	90.94	9.05	3258	789	2227	274.65
27	पन्ना	395	395	73.19	6.73	66.46	90.80	9.19	1657	431	1211	195.83
28	सिंगरौली	316	316	67.51	6.24	61.27	90.76	9.25	1398	434	964	221.13
29	रायसेन	498	431	78.25	7.43	70.82	90.50	9.49	2534	439	1720	206.19
30	टीकमगढ़	459	459	89.76	8.53	81.23	90.50	9.51	2527	511	1969	317.47
31	ग्वालियर	299	297	59.19	5.76	53.43	90.27	9.73	1018	300	618	121.83
32	छिन्दवाड़ा	803	801	145.77	14.2	131.57	90.26	9.74	2186	119	2067	221.63
33	बालाघाट	692	567	104.54	10.26	94.28	90.19	9.81	2863	372	2474	61.01
34	मुरैना	490	359	79.79	8.12	71.67	89.82	10.17	1921	465	1254	295.15
35	नरसिंहपुर	455	451	78.57	8.32	70.25	89.41	10.59	2787	446	2213	219.62
36	उमरिया	234	234	44.58	4.91	39.67	88.99	11.01	1429	620	741	135.80
37	हरदा	211	119	21.3	2.4	18.9	88.73	11.27	875	304	559	59.11
38	सिवनी	645	519	89.78	10.31	79.47	88.52	11.49	2928	143	2452	262.56
39	भिण्ड	447	447	93.97	11.02	82.95	88.27	11.72	1096	420	676	98.20
40	छतरपुर	558	558	107.97	13.21	94.76	87.77	12.23	2825	606	1904	217.60
41	अनूपपुर	282	282	54.16	6.68	47.48	87.67	12.33	1551	239	1276	124.07
42	शहडोल	391	390	72.15	8.91	63.24	87.65	12.34	1167	210	957	159.25
43	राजगढ़	627	627	106.44	13.45	92.99	87.36	12.64	2936	1118	1517	207.37
44	बड़वानी	416	416	85.69	10.9	74.79	87.28	12.72	1017	349	608	87.30
45	रीवा	827	827	154.42	20.88	133.54	86.48	13.52	2504	655	1206	18.95
46	सतना	704	704	136.84	20.45	116.39	85.06	14.95	2893	740	2153	252.71
47	मंडला	486	412	72.92	11.19	61.73	84.65	15.35	1327	232	1095	111.00
48	अलिराजपुर	288	250	47.88	7.38	40.5	84.59	15.42	1357	403	954	246.50
49	अशोकनगर	335	335	60.54	9.73	50.81	83.93	16.07	725	424	297	41.10
50	होशंगाबाद	428	425	74.7	12.43	62.27	83.36	16.64	2108	514	1549	130.84
	कुल	**23006**	**21915**	**4101.17**	**376.05**	**3725.12**	**90.83**	**9.17**	**106255**	**24673**	**76907**	**9268.64**

जिलेवार पंच-परमेश्वर योजना की प्रगति
स्वीकृत कार्य के आधार पर घटते क्रम में

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिनकी शेष की जानकारी प्राप्त की गई	योजना प्रारंभ से अब तक जारी आवंटन (रु. करोड़)	शेष राशि (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	व्यय राशि प्रतिशत	शेष राशि प्रतिशत	स्वीकृत कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	खरगौन	596	595	118.33	5.61	112.72	95.26	4.74	7593	1694	5899	203.43
2	जबलपुर	542	466	80.96	6.03	74.93	92.55	7.45	3469	391	2936	378.54
3	मंदसौर	440	440	85.79	3.94	81.85	95.41	4.59	3303	601	2554	252.00
4	धार	761	736	138.93	11.86	127.07	91.46	8.53	3258	888	2150	307.54
5	सागर	760	750	137.57	12.46	125.11	90.94	9.05	3258	789	2227	274.65
6	उज्जैन	609	609	104.19	5.4	98.79	94.82	5.18	3126	484	2145	219.47
7	विदिशा	580	580	98.66	6.76	91.9	93.15	6.85	3050	803	2230	268.46
8	देवास	497	497	91.46	4.72	86.74	94.84	5.16	2966	871	2092	206.21
9	राजगढ़	627	627	106.44	13.45	92.99	87.36	12.64	2936	1118	1517	207.37
10	सिवनी	645	519	89.78	10.31	79.47	88.52	11.49	2928	143	2452	262.56
11	सतना	704	704	136.84	20.45	116.39	85.06	14.95	2893	740	2153	252.71
12	बालाघाट	692	567	104.54	10.26	94.28	90.19	9.81	2863	372	2474	61.01
13	छतरपुर	558	558	107.97	13.21	94.76	87.77	12.23	2825	606	1904	217.60
14	नरसिंहपुर	455	451	78.57	8.32	70.25	89.41	10.59	2787	446	2213	219.62
15	गुना	425	344	59.2	3.55	55.65	94.00	5.99	2775	437	2309	312.72
16	शाजापुर	554	553	99.65	6.71	92.94	93.27	6.74	2713	1365	1348	193.58
17	रायसेन	498	431	78.25	7.43	70.82	90.50	9.49	2534	439	1720	206.19
18	टीकमगढ़	459	459	89.76	8.53	81.23	90.50	9.51	2527	511	1969	317.47
19	रीवा	827	827	154.42	20.88	133.54	86.48	13.52	2504	655	1206	18.95
20	बैतूल	556	528	105.21	8.77	96.44	91.66	8.34	2445	452	1836	201.27
21	छिन्दवाड़ा	803	801	145.77	14.2	131.57	90.26	9.74	2186	119	2067	221.63

22	खण्डवा	422	401	75.44	5.14	70.3	93.19	6.81	2158	445	1626	155.78
23	रतलाम	418	418	81.39	5.22	76.17	93.59	6.42	2118	542	1576	256.21
24	होशंगाबाद	428	425	74.7	12.43	62.27	83.36	16.64	2108	514	1549	130.84
25	सीहोर	497	497	86.93	7.22	79.71	91.69	8.30	2074	488	1536	287.12
26	शिवपुरी	604	604	112.09	6.46	105.63	94.24	5.77	2007	562	1307	145.44
27	मुरैना	490	359	79.79	8.12	71.67	89.82	10.17	1921	465	1254	295.15
28	दमोह	461	461	85.57	4.04	81.53	95.28	4.73	1822	251	1571	116.30
29	कटनी	407	406	80.27	4.93	75.34	93.86	6.14	1731	334	1376	192.08
30	पन्ना	395	395	73.19	6.73	66.46	90.80	9.19	1657	431	1211	195.83
31	अनूपपुर	282	282	54.16	6.68	47.48	87.67	12.33	1551	239	1276	124.07
32	डिण्डौरी	364	364	61.74	4.13	57.61	93.31	6.68	1492	345	1108	100.10
33	इन्दौर	335	335	67.6	3.52	64.08	94.79	5.21	1475	284	1191	229.60
34	नीमच	239	239	47.44	1.93	45.51	95.93	4.07	1451	746	549	76.56
35	उमरिया	234	234	44.58	4.91	39.67	88.99	11.01	1429	620	741	135.80
36	सिंगरौली	316	316	67.51	6.24	61.27	90.76	9.25	1398	434	964	221.13
37	अलिराजपुर	288	250	47.88	7.38	40.5	84.59	15.42	1357	403	954	246.50
38	श्योपुर	225	154	32.15	2.45	29.7	92.38	7.61	1342	314	1003	114.73
39	मंडला	486	412	72.92	11.19	61.73	84.65	15.35	1327	232	1095	111.00
40	दतिया	290	290	51.69	2.48	49.21	95.20	4.80	1229	257	972	289.50
41	शहडोल	391	390	72.15	8.91	63.24	87.65	12.34	1167	210	957	159.25
42	झाबुआ	376	326	62.44	4.34	58.1	93.05	6.94	1129	109	1020	204.00
43	भिण्ड	447	447	93.97	11.02	82.95	88.27	11.72	1096	420	676	98.20
44	सीधी	400	339	67.22	5.36	61.86	92.03	7.98	1060	401	659	105.60
45	ग्वालियर	299	297	59.19	5.76	53.43	90.27	9.73	1018	300	618	121.83
46	बड़वानी	416	416	85.69	10.9	74.79	87.28	12.72	1017	349	608	87.30
47	हरदा	211	119	21.3	2.4	18.9	88.73	11.27	875	304	559	59.11
48	बुरहानपुर	167	167	34.19	0.9	33.29	97.37	2.64	844	151	693	67.48
49	भोपाल	195	195	35.15	2.68	32.47	92.38	7.62	738	175	560	98.05
50	अशोकनगर	335	335	60.54	9.73	50.81	83.93	16.07	725	424	297	41.10
	कुल	**23006**	**21915**	**4101.17**	**376.05**	**3725.12**	**90.83**	**9.17**	**106255**	**24673**	**76907**	**9268.64**

जिलेवार पंच-परमेश्वर योजना की प्रगति
पूर्ण कार्य के आधार पर घटते क्रम में

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिनकी शेष की जानकारी प्राप्त की गई	योजना प्रारंभ से अब तक जारी आवंटन (रु. करोड़)	शेष राशि (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	व्यय राशि प्रतिशत	शेष राशि प्रतिशत	स्वीकृत कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	छिन्दवाड़ा	803	801	145.77	14.2	131.57	90.26	9.74	2186	119	2067	221.63
2	झाबुआ	376	326	62.44	4.34	58.1	93.05	6.94	1129	109	1020	204.00
3	बालाघाट	692	567	104.54	10.26	94.28	90.19	9.81	2863	372	2474	61.01
4	दमोह	461	461	85.57	4.04	81.53	95.28	4.73	1822	251	1571	116.30
5	जबलपुर	542	466	80.96	6.03	74.93	92.55	7.45	3469	391	2936	378.54
6	सिवनी	645	519	89.78	10.31	79.47	88.52	11.49	2928	143	2452	262.56
7	गुना	425	344	59.2	3.55	55.65	94.00	5.99	2775	437	2309	312.72
8	मंडला	486	412	72.92	11.19	61.73	84.65	15.35	1327	232	1095	111.00
9	अनूपपुर	282	282	54.16	6.68	47.48	87.67	12.33	1551	239	1276	124.07
10	बुरहानपुर	167	167	34.19	0.9	33.29	97.37	2.64	844	151	693	67.48
11	शहडोल	391	390	72.15	8.91	63.24	87.65	12.34	1167	210	957	159.25
12	इन्दौर	335	335	67.6	3.52	64.08	94.79	5.21	1475	284	1191	229.60
13	कटनी	407	406	80.27	4.93	75.34	93.86	6.14	1731	334	1376	192.08
14	नरसिंहपुर	455	451	78.57	8.32	70.25	89.41	10.59	2787	446	2213	219.62
15	दतिया	290	290	51.69	2.48	49.21	95.20	4.80	1229	257	972	289.50
16	टीकमगढ़	459	459	89.76	8.53	81.23	90.50	9.51	2527	511	1969	317.47
17	खरगौन	596	595	118.33	5.61	112.72	95.26	4.74	7593	1694	5899	203.43
18	मंदसौर	440	440	85.79	3.94	81.85	95.41	4.59	3303	601	2554	252.00
19	भोपाल	195	195	35.15	2.68	32.47	92.38	7.62	738	175	560	98.05
20	खण्डवा	422	401	75.44	5.14	70.3	93.19	6.81	2158	445	1626	155.78

21	बैतूल	556	528	105.21	8.77	96.44	91.66	8.34	2445	452	1836	201.27
22	श्योपुर	225	154	32.15	2.45	29.7	92.38	7.61	1342	314	1003	114.73
23	सतना	704	704	136.84	20.45	116.39	85.06	14.95	2893	740	2153	252.71
24	रतलाम	418	418	81.39	5.22	76.17	93.59	6.42	2118	542	1576	256.21
25	डिण्डौरी	364	364	61.74	4.13	57.61	93.31	6.68	1492	345	1108	100.10
26	सीहोर	497	497	86.93	7.22	79.71	91.69	8.30	2074	488	1536	287.12
27	होशंगाबाद	428	425	74.7	12.43	62.27	83.36	16.64	2108	514	1549	130.84
28	विदिशा	580	580	98.66	6.76	91.9	93.15	6.85	3050	803	2230	268.46
29	पन्ना	395	395	73.19	6.73	66.46	90.80	9.19	1657	431	1211	195.83
30	देवास	497	497	91.46	4.72	86.74	94.84	5.16	2966	871	2092	206.21
31	अलिराजपुर	288	250	47.88	7.38	40.5	84.59	15.42	1357	403	954	246.50
32	सिंगरौली	316	316	67.51	6.24	61.27	90.76	9.25	1398	434	964	221.13
33	उज्जैन	609	609	104.19	5.4	98.79	94.82	5.18	3126	484	2145	219.47
34	सागर	760	750	137.57	12.46	125.11	90.94	9.05	3258	789	2227	274.65
35	रायसेन	498	431	78.25	7.43	70.82	90.50	9.49	2534	439	1720	206.19
36	छतरपुर	558	558	107.97	13.21	94.76	87.77	12.23	2825	606	1904	217.60
37	धार	761	736	138.93	11.86	127.07	91.46	8.53	3258	888	2150	307.54
38	मुरैना	490	359	79.79	8.12	71.67	89.82	10.17	1921	465	1254	295.15
39	शिवपुरी	604	604	112.09	6.46	105.63	94.24	5.77	2007	562	1307	145.44
40	हरदा	211	119	21.3	2.4	18.9	88.73	11.27	875	304	559	59.11
41	सीधी	400	339	67.22	5.36	61.86	92.03	7.98	1060	401	659	105.60
42	भिण्ड	447	447	93.97	11.02	82.95	88.27	11.72	1096	420	676	98.20
43	ग्वालियर	299	297	59.19	5.76	53.43	90.27	9.73	1018	300	618	121.83
44	बड़वानी	416	416	85.69	10.9	74.79	87.28	12.72	1017	349	608	87.30
45	उमरिया	234	234	44.58	4.91	39.67	88.99	11.01	1429	620	741	135.80
46	राजगढ़	627	627	106.44	13.45	92.99	87.36	12.64	2936	1118	1517	207.37
47	शाजापुर	554	553	99.65	6.71	92.94	93.27	6.74	2713	1365	1348	193.58
48	रीवा	827	827	154.42	20.88	133.54	86.48	13.52	2504	655	1206	18.95
49	अशोकनगर	335	335	60.54	9.73	50.81	83.93	16.07	725	424	297	41.10
50	नीमच	239	239	47.44	1.93	45.51	95.93	4.07	1451	746	549	76.56
	कुल	**23006**	**21915**	**4101.17**	**376.05**	**3725.12**	**90.83**	**9.17**	**106255**	**24673**	**76907**	**9268.64**

जिलेवार पंच-परमेश्वर योजना की प्रगति
पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई के आधार पर घटते क्रम में

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिनकी शेष की जानकारी प्राप्त की गई	योजना प्रारंभ से अब तक जारी आवंटन (रु. करोड़)	शेष राशि (रु. करोड़)	कुल व्यय (रु. करोड़)	व्यय राशि प्रतिशत	शेष राशि प्रतिशत	स्वीकृत कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	पूर्ण कार्य संख्या	पूर्ण सी.सी. सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	जबलपुर	542	466	80.96	6.03	74.93	92.55	7.45	3469	391	2936	378.54
2	टीकमगढ़	459	459	89.76	8.53	81.23	90.50	9.51	2527	511	1969	317.47
3	गुना	425	344	59.2	3.55	55.65	94.00	5.99	2775	437	2309	312.72
4	धार	761	736	138.93	11.86	127.07	91.46	8.53	3258	888	2150	307.54
5	मुरैना	490	359	79.79	8.12	71.67	89.82	10.17	1921	465	1254	295.15
6	दतिया	290	290	51.69	2.48	49.21	95.20	4.80	1229	257	972	289.50
7	सीहोर	497	497	86.93	7.22	79.71	91.69	8.30	2074	488	1536	287.12
8	सागर	760	750	137.57	12.46	125.11	90.94	9.05	3258	789	2227	274.65
9	विदिशा	580	580	98.66	6.76	91.9	93.15	6.85	3050	803	2230	268.46
10	सिवनी	645	519	89.78	10.31	79.47	88.52	11.49	2928	143	2452	262.56
11	रतलाम	418	418	81.39	5.22	76.17	93.59	6.42	2118	542	1576	256.21
12	सतना	704	704	136.84	20.45	116.39	85.06	14.95	2893	740	2153	252.71
13	मंदसौर	440	440	85.79	3.94	81.85	95.41	4.59	3303	601	2554	252.00
14	अलिराजपुर	288	250	47.88	7.38	40.5	84.59	15.42	1357	403	954	246.50
15	इन्दौर	335	335	67.6	3.52	64.08	94.79	5.21	1475	284	1191	229.60
16	छिन्दवाड़ा	803	801	145.77	14.2	131.57	90.26	9.74	2186	119	2067	221.63
17	सिंगरौली	316	316	67.51	6.24	61.27	90.76	9.25	1398	434	964	221.13
18	नरसिंहपुर	455	451	78.57	8.32	70.25	89.41	10.59	2787	446	2213	219.62
19	उज्जैन	609	609	104.19	5.4	98.79	94.82	5.18	3126	484	2145	219.47

20	छतरपुर	558	558	107.97	13.21	94.76	87.77	12.23	2825	606	1904	217.60
21	राजगढ़	627	627	106.44	13.45	92.99	87.36	12.64	2936	1118	1517	207.37
22	देवास	497	497	91.46	4.72	86.74	94.84	5.16	2966	871	2092	206.21
23	रायसेन	498	431	78.25	7.43	70.82	90.50	9.49	2534	439	1720	206.19
24	झाबुआ	376	326	62.44	4.34	58.1	93.05	6.94	1129	109	1020	204.00
25	खरगौन	596	595	118.33	5.61	112.72	95.26	4.74	7593	1694	5899	203.43
26	बैतूल	556	528	105.21	8.77	96.44	91.66	8.34	2445	452	1836	201.27
27	पन्ना	395	395	73.19	6.73	66.46	90.80	9.19	1657	431	1211	195.83
28	शाजापुर	554	553	99.65	6.71	92.94	93.27	6.74	2713	1365	1348	193.58
29	कटनी	407	406	80.27	4.93	75.34	93.86	6.14	1731	334	1376	192.08
30	शहडोल	391	390	72.15	8.91	63.24	87.65	12.34	1167	210	957	159.25
31	खण्डवा	422	401	75.44	5.14	70.3	93.19	6.81	2158	445	1626	155.78
32	शिवपुरी	604	604	112.09	6.46	105.63	94.24	5.77	2007	562	1307	145.44
33	उमरिया	234	234	44.58	4.91	39.67	88.99	11.01	1429	620	741	135.80
34	होशंगाबाद	428	425	74.7	12.43	62.27	83.36	16.64	2108	514	1549	130.84
35	अनूपपुर	282	282	54.16	6.68	47.48	87.67	12.33	1551	239	1276	124.07
36	ग्वालियर	299	297	59.19	5.76	53.43	90.27	9.73	1018	300	618	121.83
37	दमोह	461	461	85.57	4.04	81.53	95.28	4.73	1822	251	1571	116.30
38	श्योपुर	225	154	32.15	2.45	29.7	92.38	7.61	1342	314	1003	114.73
39	मंडला	486	412	72.92	11.19	61.73	84.65	15.35	1327	232	1095	111.00
40	सीधी	400	339	67.22	5.36	61.86	92.03	7.98	1060	401	659	105.60
41	डिण्डौरी	364	364	61.74	4.13	57.61	93.31	6.68	1492	345	1108	100.10
42	भिण्ड	447	447	93.97	11.02	82.95	88.27	11.72	1096	420	676	98.20
43	भोपाल	195	195	35.15	2.68	32.47	92.38	7.62	738	175	560	98.05
44	बड़वानी	416	416	85.69	10.9	74.79	87.28	12.72	1017	349	608	87.30
45	नीमच	239	239	47.44	1.93	45.51	95.93	4.07	1451	746	549	76.56
46	बुरहानपुर	167	167	34.19	0.9	33.29	97.37	2.64	844	151	693	67.48
47	बालाघाट	692	567	104.54	10.26	94.28	90.19	9.81	2863	372	2474	61.01
48	हरदा	211	119	21.3	2.4	18.9	88.73	11.27	875	304	559	59.11
49	अशोकनगर	335	335	60.54	9.73	50.81	83.93	16.07	725	424	297	41.10
50	रीवा	827	827	154.42	20.88	133.54	86.48	13.52	2504	655	1206	18.95
	कुल	**23006**	**21915**	**4101.17**	**376.05**	**3725.12**	**90.83**	**9.17**	**106255**	**24673**	**76907**	**9268.64**

● विनोद यादव

तारासेवनिया बनेगा सर्वोत्तम आदर्श गांव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की। योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर में सांसदों ने आदर्श गांव चिन्हित करने शुरू कर दिए। मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा घोषित सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में तेजी दिखाकर रिकार्ड बनाया है। मध्यप्रदेश से संबंधित 36 सांसदों ने अपने क्षेत्र में ग्रामों का चयन कर तुरन्त कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश में प्रारंभिक बेस लाइन सर्वे भी हो चुका है। इसी सर्वे के आधार पर कार्य योजना तैयार होकर गांव को आदर्श बनाने का लक्ष्य पूर्ण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के नोडल अधिकारी तथा आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने इस योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई है। वे योजना को गति देने के साथ कार्य की मैदानी स्तर पर भी जाँच करते हैं।

विगत दिनों कमिश्नर पंचायत श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने सांसद आलोक संजर द्वारा आदर्श ग्राम बनाए जा रहे ग्राम तारासेवनिया का भ्रमण कर विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गाँव को सर्वोत्तम आदर्श गाँव बनाने की आयोजना पर चर्चा की गयी।

कमिश्नर पंचायत श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने जिला पंचायत सी.ई.ओ., जनपद पंचायत सी.ई.ओ. तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली। आयुक्त पंचायत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तारासेवनिया को सर्वोत्तम गाँव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।

उन्होंने बैठक में तथा ग्रामीणों को यह भी बताया कि सांसद आलोक संजर द्वारा तारासेवनिया ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने के लिए गोद लिया गया है। ये हमारे लिए कार्य करने का सुनहरा अवसर है। हम सभी को एक साथ मिलकर सभी विभागों की कार्ययोजना जल्द से जल्द तैयार करना है और आने वाले एक वर्ष में गाँव को पूर्ण आदर्श ग्राम का रूप देना है।

● **हेमलता हुरमाड़े**

पंचायती राज

वैदिक और वनवासी समानताएँ

ऋग्वेद के दसवें मंडल की ऋचा में वैदिक ऋषि ने इच्छा प्रकट की है कि सभा समिति के लोग साथ-साथ चलें, एक साथ बात करें, एक-दूसरे के मन को जानें, उनका निश्चय समान हो, हृदय समान हो, मन समान हों जिससे समाज सुखी रहे। ठीक इसी तरह 'आदि' की सियांग में एक परिषद 'केबांग' की बैठक में उद्घोष है- 'हे ग्रामीणों और भाइयों, हम अपनी परंपराओं और परिषद को सशक्त बनाएं, अपने नियमों को सुधारें, अपने कानूनों को सीधा और सभी के लिए बराबर बनाएं। हमने एक परिषद बैठक बनाई है और हम लोग एक स्वर में बोलेंगे और एक निर्णय देंगे।' वैदिक और वनवासी समानताओं को इस आलेख के माध्यम से विस्तारित कर रही हैं मुक्ति श्रीवास्तव।

संगच्छध्वं, संवद्ध्वं संवोमनांसि जानतामा
समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति।।

ऋग्वेद की इन पंक्तियों में भी यही इच्छा प्रकट की गई थी कि सभा समिति के लोग साथ-साथ चलें, एक साथ बात करें एवं एक-दूसरे के मन को जानें, उनका निश्चय समान हो, हृदय समान हो, मन समान हों जिससे समाज सुखी रहे। संस्कृत हो या प्राकृत, भारतीय मन तो भारतीय मन ही है।

उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र जिसे नेफा कहते हैं, में भी आदिवासी परिषदें शताब्दियों से काम करती चली आ रही हैं। ये अनौपचारिक संस्थाएं सामाजिक एवं दैविक सैक्शन प्राप्त हैं। इनमें से मोनपा परिषदें या 'आदि' की 'बांगो' परिषदें स्वयं अत्यंत संगठित सामुदायिक भावना और एकता बोध से संचालित अत्यन्त लोकप्रिय संस्थाएं हैं। 'आदि' की सियांग में एक परिषद 'केबांग' की बैठकें इस प्रारंभिक उद्धरण के साथ शुरू होती हैं :-

'हे ग्रामीणों और भाइयों, हम अपनी परंपराओं और परिषद को सशक्त बनाएं, अपने नियमों को सुधारें, अपने कानूनों को सीधी और सभी के लिए बराबर बनाएं। वे नेता जो सबसे अच्छा बोल सकते हैं, खड़े हों और हमारी बेहतरी के लिए बोलें, वे निर्भय, निस्संकोच और निर्द्वन्द्व स्वर में ऐसे बोलें जैसे मुर्गा बोलता है। हमारे कानून एक-से हों, हमारी प्रथाएं सभी के लिए समान हों, हम अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से फैसले न लें, हम तर्क के आधार पर चलें, देखें कि न्याय हो और देखें कि ऐसे समझौते पर पहुंचें जो दोनों पक्षों को स्वीकृत हो, हम कुछ भी लंबित नहीं रखें, हम तब तय करें जब विवाद ताजा हो न कि तब जब छोटे विवाद बड़े हो जाएं और एक लंबे समय तक चलते रहें। दंड शुल्क भी तार्किक तरीके से आरोपित हों, वह अपराध के समकक्ष हों और न्यायपूर्ण हों, दरिद्रता पर करूणा हो और न्याय में दया। हम लोग न्याय के पवित्र स्थान पर मिले हैं, हमने एक परिषद बैठक बनाई है और हम लोग एक स्वर में बोलेंगे और एक निर्णय देंगे।'

आसाम में गारो गांवों में काम करने वाली आदिवासी परिषदें लोगों के आपसी विवादों और मतभेदों का निराकरण करती थीं। वे शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती थीं और साधारण आदिवासी तरीकों से विवादों का निपटारा करती थीं। खासी आदिवासियों में एक 'दरबार' नामक परिषद होती है जिसमें गांव के सारे वयस्क पुरुष शामिल होते हैं। ये दरबार गांव के सारे सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को निर्देशित करते हैं। उनके निर्णय उनके क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले सभी पर लागू होते हैं और अवज्ञा का अर्थ दंडशुल्क है या ग्राम से निष्कासन भी। आंध्रप्रदेश में कोया आदिवासियों की अपनी पारंपरिक पंचायतें थीं इन्हें कुल पंचायत कहते थे। ग्राम प्रशासन की इकाई था जिसका प्रमुख 'पिन्ना पेड्डा' वंशानुगत उत्तराधिकारी तो होता था लेकिन उसे ग्राम वृद्ध चुनते थे। ग्राम वृद्ध किसी नाबालिग या अक्षम व्यक्ति को न चुनकर किसी अन्य को प्रतिनिधि की तरह भी चुन सकते थे। उसके ऊपर एक कुल पेड्डा या पटेल भी होता था जिसका वंशानुगत मुंसिफ

जैसा पद शासन द्वारा मान्य किया जाता था। 10-12 गांवों के समूहों को समुतू कहते थे जिसे समुतु दोरा, कुलु दोरा या पेड्डा कापु नामक परिषद अध्यक्ष अपने सहकर्मियों की मदद से चलाता था। पिन्ना पेड्डा या कुल पेड्डा या पटेल के निर्णयों के विरुद्ध अपील समुतु द्वारा सुनी जाती थी। दंड शुल्क पटेल या पिन्ना पेड्डा पर भी लगाया जा सकता था। दंड शुल्क (टप्पू) तीन तरह के थे जो समुदाय (कुल) को देय हों, जो धार्मिक प्रमुख (गुरू) को देय हों और जो राज्य के प्रमुख (राजा) को देय हो। प्रायः राजा के न हो सकने से शुल्क 'कुल' को चले जाते थे और उनका इस्तेमाल सामूहिक रूप से पीने के काम में होता था। यदि दंडशुल्क नहीं दिया जाता तो उसका परिणाम सामाजिक बहिष्कार में होता था। यह परंपरा कोया आदिवासियों में आज तक जीवित चली आई है।

उड़ीसा में 'हो' आदिवासियों द्वारा पंचायत में राष्ट्रपति प्रणाली-सी अपनाई गई लगती है। वहां हो एक क्षेत्र-विशेष के गांवों से 'मोरांग गोन्का' नामक अध्यक्ष चुनते हैं जिसे जाति की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को नियमित करने के लिए अन्य 'प्रमुख' लोग मदद करते हैं। इन प्रमुखों की परिषद बैठकर धार्मिक उत्सवों, विवाहों, नृत्यों और त्यौहारों की तिथि और व्यवस्था तय करती है। वैवाहिक विवादों को सुनती है और दंड भी अधिरोपित करती है। साठ के दशक में इसने दहेज प्रथा खत्म करने और साक्षरता के लिए भी कार्य किया। मारंग गोन्का और प्रमुखों के पद आनुवंशिक नहीं हैं, वे जनता के बीच इनकी सतत लोकप्रियता और प्रभाव पर निर्भर करते हैं।

एक दूसरा उदाहरण गोंडों का दिया जा सकता है। एक समय गोंडवाना के अंतर्गत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। गोंड शासकों ने भले ही एक शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता की स्थापना की हो लेकिन उनकी ग्रामीण स्वायत्तता ने अध्येताओं का ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। विदर कोस्टल ने लिखा है :

बहुत शुरू से ही गांव स्वायत्त इकाइयों के रूप में गठित किए गए थे। इस क्षेत्र में पंचायत प्रणाली की एक अखंड निरन्तरता रही आई है और यह स्पष्ट है कि शायद मराठा छापों के दौर के अपवाद को छोड़, ग्राम स्तर पर विकास की प्रक्रिया में या तो कोई व्यवधान नहीं हुआ या बहुत अल्प व्यवधान हुआ। यहां तक कि जब साम्राज्य गठित हुए तो भी घटक इकाइयों की स्वायत्तता प्रभावित नहीं हुई।

सी.यू. वेलिस ने भी यह स्वीकार किया है कि गोंडों की प्रशासन पद्धति निचले स्तर से होने वाला प्राकृतिक विकास था और अपने स्वरूप में जनतांत्रिक था। पंचायतों ने प्रत्येक स्टेज पर गोंड प्रमुखों की स्वेच्छाचारी शक्तियों को सीमित किया था। राजस्थान में 13 से 15वीं शती के बीच के अनेक अभिलेख 'पंचकुल' ग्रामों में विभिन्न कार्यों - संपदा, भूमि, सीमांकन आदि के विवाद सुलझाने, कर एकत्र करना आदि को करने का उल्लेख करते हैं। पंचकुल में पांच या पांच से अधिक शिष्ट व्यक्ति होते थे, इनके निर्णयों को स्थानीय और राज्य की मान्यता थी। इन पंचकुलों में एक या कर्णिक (राजकीय अधिकारी) थे जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे।

इस प्रकार यह संस्था राज्य द्वारा और प्रजा द्वारा प्रमाणित समझी जाती थी। गांवों, कस्बों और मंडियों की व्यवस्था मण्डपिकाएं करती थीं। ये संस्थाएं राजकीय, सार्वजनिक और स्थानीय निकायों के लिये कर एकत्र किया करती थीं। राजस्थान में गांव की 'कामन्स' सामलात देह कहलाती थी। चूंकि वह पूरे गांव की सम्मिलित देह थी, उसका प्रबंधन भी सम्मिलित और अलिखित दस्तूरों से शासित था। ग्रामवासी सामलात दह से वृक्ष अथवा कोई भी दूसरी जरूरी उपज लेने के वास्ते बैठक का दिनांक समय तय करते थे। फिर उस दिन सम्पूर्ण ग्रामसभा मुद्दों पर सोच विचार कर निर्णयों को अंतिम रूप देती थी। देवओरण, कांकड़बनी, बाल, रखतबनी जैसी बैठकों - जगहों में पशुओं की चराई कहां हो से लेकर ढेर सारे बिन्दुओं पर फैसले होते थे। दिल्ली के आसपास यही चीज मालकानदेह कही जाती थी - कांगड़ा, होशियारपुर आदि जगहों पर भी। फीरोजपुर, हिसार, गुरदासपुर, सिरसा, झंग, गुजरांवल में भी।

ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत संचालित बैंक खाते ही मान्य

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वे पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत संचालित खाते को ग्राम पंचायत के एक बैंक खाते के रूप में मान्य करें और इसी खाते में समस्त राशियां जमा करें। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उन्हें तत्काल बंद किया जाए। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899)
(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पंचा/2015/1381 **भोपाल, दिनांक 10.02.2015**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, समस्त-मध्यप्रदेश

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, समस्त-मध्यप्रदेश

विषय - ग्राम पंचायत स्तर पर एक खाता संचालित करने तथा इस खाते से राशि के आहरण के संबंध में।

संदर्भ - 1. पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्र.-पंचा/2010/6658 दि. 27.12.10।

2. पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्र./बजट/2014/16879 दि. 29.12.2014।

3. पंचायत संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्र./ई.-पंचा./2015/31 दि. 02.01.2015।

4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की नेमीटीप क्र. 385 दि. 20.01.15।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुक्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर खाता संधारण एवं राशि आहरण के संबंध में पुनः निर्देश जारी कर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :-

1. वर्तमान में एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक बैंक खाते संचालित हैं। इन सभी खातों को तत्काल बंद किया जाकर पंच परमेश्वर योजनांतर्गत संचालित खाते को ग्राम पंचायत के एकमात्र बैंक खाते के रूप में मान्य किया जावे तथा इसी खाते में समस्त राशियां जमा किया जाना सुनिश्चित करें एवं लेखा संधारण हेतु योजनावार पृथक-पृथक लेजर संधारित करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक बैंक खाता संचालित नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।

2. ग्राम पंचायत के खाते का संचालन मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 (4) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाना है। चूंकि शीघ्र ही नवनिर्वाचित सरपंच के हस्ताक्षर इन खातों के लिए प्रमाणित किये जाने हैं। अतः इस कार्य को सावधानीपूर्वक किया जावे। प्रमाणितकर्ता अधिकारी स्वयं अपने समक्ष नवनिर्वाचित सरपंच के हस्ताक्षर बैंक के अभिलेखों पर प्रमाणित करें तथा इस संबंध में जनपद पंचायत स्तर पर एक पंजी संधारित की जावे जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच एवं सचिव के छायाचित्र के साथ नमूना हस्ताक्षर लिये जाकर एक प्रति सुरक्षित रखी जावे। आप अपने स्तर से उक्त खाते से संबंधित बैंक शाखा को भी निर्देशित करें कि नवनिर्वाचित सरपंच के हस्ताक्षर बैंक के द्वारा भी समक्ष में कराये जावें।

3. उक्त खाते में से सभी प्रकार के आहरण आरटीजीएस (खाते से खाते में ट्रांसफर) के माध्यम से किये जावें। बैंक ड्राफ्ट एवं चेक के माध्यम से आहरण/भुगतान कार्यवाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

4. नगद आहरण या अग्रिम नगद आहरण भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्य या प्राप्त की गई सेवा या क्रय की गई सामग्री के लिए संबंधित फर्म या व्यक्ति को राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने या सेवा/सामग्री प्राप्त हो जाने एवं आवश्यक अभिलेखों में दर्ज किये

जाने के बाद ही आरटीजीएस (खाते से खाते में ट्रान्सफर) के माध्यम से किया जावे।

5. यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत के द्वारा सचिव या सरपंच अथवा अन्य किसी पंचायत पदाधिकारी या सरपंच, सचिव के रिश्तेदारों के नाम से किसी सेवा या सामग्री प्रदाय करने के लिए राशि अग्रिम स्थानांतरित नहीं की जावे। यह व्यवहार गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जावेगा।

6. समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव/पंचायत समन्वय अधिकारी/क्लस्टर प्रभारी तथा नव निर्वाचित सरपंच गणों की बैठक आहूत कर उन्हें खाता संधारण एवं संचालन के संबंध में निर्धारित उक्त प्रक्रिया का भलीभाँति प्रशिक्षण दिया जावे तथा उक्त प्रक्रिया का अनिवार्यतः गंभीरतापूर्वक पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे। समस्त ग्राम पंचायतों एवं सर्व संबंधितों को इस पत्र की प्रति उपलब्ध कराकर पावती सुरक्षित रखी जावे।

(अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित)

(रघुवीर श्रीवस्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रदेश की पहली चलित आँगनवाड़ी जुगनू का शुभारंभ

प्रदेश की पहली चलित आँगनवाड़ी 'जुगनू' का दो मार्च को इंदौर में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया। श्रीमती सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को सुपोषित आहार उपलब्ध करवाने में इस पायलट प्रोजेक्ट के बेहतर परिणाम सामने आये, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।

बच्चों को उनके घर के समीप पोषण आहार उपलब्ध करवाने के लिये इंदौर जिले में प्रदेश की पहली चलित आँगनवाड़ी शुरू की गई है। इसके जरिये सप्ताह में 6 दिन अस्थाई बस्तियों में इस चलित आँगनवाड़ी के जरिये पूरक पोषण आहार, बच्चों का नियमित वजन, उनके पोषण श्रेणी का चिन्हांकन, खान-पान एवं नियमित साफ-सफाई की समझाइश परिजनों को देने के साथ ही किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण आहार की शिक्षा भी दी जायेगी। चलित आँगनवाड़ी गर्भवतियों की नियमित जाँच, सम्पूर्ण टीकाकरण, शाला पूर्व शिक्षा के लिये खेल-खेल में शिक्षा का जागरूकता अभियान संचालित करेगी।

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश पंचायिका

1.	प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	:	अनिल माथुर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मध्यप्रदेश माध्यम
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
4.	प्रकाशक का नाम	:	रघुवीर श्रीवास्तव, आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
	पता	:	पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5.	संपादक का नाम	:	रंजना चितले
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों, तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

मैं रघुवीर श्रीवास्तव एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

रघुवीर श्रीवास्तव
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक 1.3.2015